भवत क— श्रद्धेय पथिकजी (जेलमें,

तरुण राजस्थान

वार्षिक मूल्य ३)
छः मास का मूल्य २)
एक प्रति का पांच पैसे

राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र

वर्ष ४ } अजमेर, रविवार माघ शुक्ला १२, तारीख १३, फरवरी सन् १९२७ ईस्वी { संख्या ३१

ताज़े समाचार

गत ८ ता० से इङ्गलेण्ड की पार्लियामेण्ट की बैठक शुरू हो गई। सम्राट का भाषण हुआ। चीन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन चीन के साथ मैत्री चाहता है और नयी सन्धियां करने को तयार है, और वह भी बराबरी के नाते।

बम्बई की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने खादी प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है और इस कार्य के लिये पांच हजार रुपये तक की मंजूरी दी है। इतना ही रुपया चर्खा संघ ने भी देना स्वीकार किया है।

कृषि विषयक शाही कमीशन के खर्च के लिये बड़ी कौंसिल की आर्थिक कमेटी ने १३ लाख रुपया स्वीकार किया है। इसमें से ५ लाख भारत में और शेष इङ्गलैण्ड में खर्च होगा।

नरेन्द्रमण्डल के चान्सलर महाराजा पटियाला ने नरेशों की एक कान्फ्रेन्स बुलाई है जिसमें शासन सुधार के लिये आने वाले शाही कमीशन के प्रति उनकी क्या नीति हो, इस विषय पर विचार होगा।

बैरकपुर छावनी के मेजिस्ट्रेट ने सन १९२१ में वहां के प्रमुख असहयोगी श्री जगन्नाथप्रसाद के विरुद्ध जो निर्वासन आज्ञा प्रचारित की थी, उसका फिर दुबारा समर्थन किया है। श्री जगन्नाथप्रसाद से यह लिखित वचन मांगा गया था, कि वे राजनीति में कोई भाग न लें, किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया।

'रंगीला रसूल' नामक पुस्तिका के प्रकाशक श्री राजपाल को १८ मास की सख्त कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सज़ा जातीय विद्वेष फैलाने के अपराध में दी गई थी, वह अपील में घटा कर छ महीने की कर दी गई।

देहरादून की अंग्रेज कम्पनी के श्री एडवर्ड्स ने दिल्ली के हिन्दी दैनिक पत्र 'हिन्दू संसार' के मानहानि वाले मामले में कही हुई बातों पर आपत्ति कर देहरीके दीवान पर मानहानि का मामला दायर किया है। 'हिन्दू संसार' वाले मामले में बहस हो चुकी। शीघ्र ही फैसला सुनाया जायगा।

दिल्ली के लाला शंकरलाल के मामले में श्री श्रीनिवास आयंगर पैरवी करेंगे।

बङ्गाल कौंसिल के स्वराजी सदस्य श्री जे० एम० दास गुप्त जो पटुआखाली सत्याग्रह की स्थिति का अध्ययन करने गये थे, दो साथियों सहित गिरफ्तार कर लिये गये। वे सरस्वती पूजा दिवस मनाने के लिये विद्यार्थियों के जुलूस का निरीक्षण कर रहे थे।

गजनवी के बंगाल में मन्त्री पद स्वीकार कर लेने पर मुसलमानों का विरोध जारी है। कलकत्ते की परदानशीन मुसलिम औरतों ने भी सभा कर विरोध किया है। स्थान २ पर इस सम्बन्ध में सभायें हो रही हैं।

बून्दी में चौधरीजी का प्रवेश निषेध

सन् १९२३ के मध्य में बून्दी रियासत ने राजस्थान सेवा संघ के मन्त्री श्री रामनारायण जी चौधरी का इस बिना पर दो वर्ष के लिये प्रवेश निषेध कर दिया था कि उन्होंने राज्य में सभायें कर प्रजा में बद अमनी फैलाई। अब गत १६ जनवरी को फिर न्याय विभाग की ओर से एक गश्ती आज्ञा निकली है कि चूंकि उक्त अवधि खत्म हो चुकी है अतः यदि श्री चौधरीजी अथवा सेवा संघ का कोई मेम्बर रियासत या रियासत के इलाक़ में दो साल तक आवे तो उसे गिफ्तार कर पेश किया जावे।

बिजौलिया में असन्तोष

नये बन्दोबस्त के निर्णय के विरुद्ध किसानों में बड़ा असन्तोष फैल रहा है। बन्दोबस्त अफ़सर मि० ट्रेंच के पास अर्जियों पर अर्जियां पहुंच रही हैं। उनकी संख्या पांच सौ से अधिक पहुंच चुकी है। मि० ट्रेंच ने नयी दरों की घोषणा करने के पूर्व किसानों को चेतावनी दे दी थी कि व्यक्तिशः शिकायतें ही सुनी जायंगी, संयुक्त प्रार्थना पत्र देने से उन को नुकसान होगा। फिर भी किसानों ने एक विस्तृत आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने अपने कष्टों का ज़िक्र करते हुये उनके दूर करने के उपाय सुझाये थे। रेवेन्यू अफ़सर ने किसानों की बात ध्यान से सुनी। मगर किसानों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब दूसरे दिन कुछ किसानों का लगान और बढ़ा दिया गया, जिन्होंने अपनी तकलीफों के लिये मि० ट्रेंच से निवेदन किया था। साथ ही ठिकाने वालों ने पिछली बकाया वसूल करने का भी ज़ोरों से तकाज़ा शुरू कर दिया हालांकि अभी तक अन्तिम लगान निश्चित भी नहीं हुआ है। बहुत से गांवों से रेवेन्यू कमिश्नर के ऊंट घोड़ों के लिये रजका (हरी खेती) भी सन् १९२२ के समझौते के विरुद्ध राजकर्मचारी ले गये। खेद की बात है कि रेवेन्यू कमिश्नर जैसे उच्च पदस्थ अफ़सर ने इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही होने दी। इन सब बातों को ध्यान में रख कर किसानों ने मि० ट्रेंच को इस प्रकार की कार्यवाहियों के विरुद्ध असन्तोष प्रदर्शित करते हुये एक पत्र भेजा है। यदि मि० ट्रेंच ने पर्याप्त सहायता नहीं दी तो किसानों ने उच्चाधिकारियों के पास अपील करने की सूचना भी दे दी है।

शत्रुञ्जय तीर्थ पर जैनियों के अधिकार के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव बड़ी कौंसिल में पेश करने की सूचना बम्बई के सदस्य श्री शापुरजी छाबी ने दी थी, किन्तु अध्यक्ष श्री पटेल ने यह कह कर कि मामला एक देशी राज्य के सम्बन्ध में है, अतः उस पर असेम्बली में विचार होने की आज्ञा नहीं दी जा सकती, प्रस्ताव पेश नहीं होने दिया।

महाराजा नाभा ने अपना पुराना नाम रिपुदमनसिंह बदल कर गुरुचरनसिंह रखा है,

बंगाल के काले क़ानून के अनुसार नज़रबन्द श्री सुभाषचन्द्र बोस फिर डाक्टरी परीक्षा के लिये मण्डाले जेल से रंगून ले जाये जायंगे। उनके भाई डा० सुनील बोस कलकत्ते से उनसे मिलने के लिये रवाना हो गये हैं।

बजट पेश करने के पहिले रुपये का विदेशी मूल्य ठहराने वाला मुद्रा बिल विचारार्थ बड़ी कौंसिल में पेश न करने के कारण सरकार की निन्दा करने के लिये गत ८ ता० को श्रीनिवास आयंगर ने कौन्सिल स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया था, वह पास हो गया। पक्ष में ५२ और विरुद्ध ४५ मत आये।

पुर्तगाल के एक हिस्से ओपोर्टो में विद्रोह हो गया, जिस से स्थिति बड़ी नाजुक हो रही है। सरकार ने फ़ौजी क़ानून की घोषणा की थी। फ़ौजें हवाई जहाजों से बम बरसा रही हैं। आन्तरिक और वैदेशिक विभागों के मन्त्री गिरफ़्तार कर लिये गये हैं।

कलकत्ते के अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक पत्र 'फारवर्ड' और बंगला पत्र 'आत्मशक्ति' पर राजद्रोह फैलाने का जो मामला चल रहा था, उसका फैसला हो गया। 'फारवर्ड' के सम्पादक को तीन महीने की सख्त और 'आत्म शक्ति' के सम्पादक को दो मास की सादी कैद की सज़ा हुई। अभियुक्त अपील के फैसले तक जमानत पर छूटे हैं।

अजमेर की बातें

सिपाही का पक्षपात

मदार दरवाजा अजमेर शहर का एक ऐसा भाग है जहां सुबह से लेकर रात के ८-९ बजे तक भीड़ बनी रहती है, खास कर शाम को तो माल बेचने वाले ठेले, खोमचे वाले तथा अपनी लच्छेदार बातों में फंसा कर जिरियान और नामर्दी की दवा एवं नजर न लगने के गण्डे ताबीज आदि के नाम पर भोले भाले गरीबों को ठगने वाले बाजारू दवा फरोश आदि के कारण भीड़ बहुत ही बढ़ जाती है। कुंजड़ों का तो कहना ही क्या उन्होंने तो मानों सारी जमीन का ठेका ले रक्खा है, वे सड़क पर मनमानी जमीन घेर लेते हैं, किन्तु न तो म्यूनिसिपेलिटी का, न पुलिस का इस ओर ध्यान जाता है। उनका ध्यान जाता है छोटे मोटे मिठाई या बर्फ वाले या ऐसे ही किसी अजनबी पर। उदाहरण लीजिये गत २८ जनवरी की एक घटना लीजिये। उस दिन मैं गोविंदलाल को सहज स्वभाव टहलता हुआ उधर जा निकला। उस समय मैं ने एक पुलिस कानिस्टेबिल को वहां दरवाजे के पास चक्कर लगाते देखा। एक नङ्गे सिर का कोई उसके साथ और था, जो हाथ में दवात लिये हुए था। उस समय कुंजड़ों ने दुकान से हट कर सड़क पर अपना माल फैला रक्खा था, किन्तु सिपाही ने उनकी ओर नजर उठा कर भी न देखा आगे चल कर कायाकल्प के एजेण्ट ने अपनी पुस्तकें फैलाकर गैस के हण्डे के नीचे अपनी दूकान सी लगा रक्खी थी, और बिस्किट, रेवड़ी, मूंगफली आदि के कई ठेले वाले अपने ठेले लगाये और कुछ जमीन पर बैठे थे। सिपाही ने इनमें से एक बर्फ वाले को पकड़ा, और चालान का फार्म निकाल कर उस पर उस से दस्तखत करने को कहा। वह बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि मुझे मालूम न था कि यहां न बैठना चाहिये, अब आयन्दा कभी न बैठूंगा। किन्तु सिपाही न माना, और यह लिख कर कि मुलिज़म दस्तखत नहीं करता, उस नंगे सिर वाले अपने साथी की उस पर गवाही करवाली। उसके बाद उसने एक मिठाई वाले को पकड़ा, किन्तु जहां बर्फ वाले से उसने छपे हुए फार्म पर दस्तखत करवाने चाहे थे, वहां इस मिठाई वाले से अपनी डायरी के एक कोरे पन्ने पर ही करवाये, तीसरा नम्बर किताब वाले का आया, इसके लिये निकला तो छपा हुआ फार्म पर किताब वाले ने भाषा का कुछ संकेत कर दिया, जिससे वह 'अच्छा, अच्छा' कह कर हंसते हुए चल दिया। दूसरे ठेले वाले, एवं कुंजड़ों आदि से कुछ भी न कहा। इस पक्षपात का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया! क्या कुंजड़ों ने और बाजारू दवा फरोश आदि ने म्यूनीसिपेलिटी से लाइसेन्स ले रक्खा है, जो उनसे तो कुछ न कहा गया और पकड़ा गया सिर्फ एक बर्फ वाला! मिठाई वाले से कोरे कागज पर दस्तखत क्यों और किताब वाले से अच्छा अच्छा कहने का क्या मतलब था? यदि पुलिस के अधिकारी इस सम्बन्ध में जांच करना चाहें तो मैं ने सिपाही का नम्बर पटीटर साहब को बता दिया है; उन से पूछ सकते हैं।

—एक प्रत्यक्षदर्शी

पागल कुत्ते के काटे का इलाज

राजपूताना निवासियों को यह जान कर संतोष होगा कि अजमेर में बी० बी० एण्ड सी० आइ० रेलवे के बड़े अस्पताल में विगत कुछ महीनों से पागल कुत्ते के काटे का इलाज जारी किया गया है। पहिले यह इलाज केवल कसौली में होता था। लेकिन अब अजमेर, इन्दौर और अहमदाबाद में भी जारी किया गया है। कुत्ता काटे हुवे व्यक्ति के चौदह पिचकारियां (injections) लगाई जाती हैं। उपरोक्त रेलवे के कर्मचारियों का इलाज बिना दाम ही किया जाता है, परन्तु दूसरों से वाजिब दाम लिये जाते हैं। अस्पताल में इस काम के लिए डा० कुंवर बिहारीलाल नियुक्त हैं जिन्होंने विगत महीनों में कई रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। आपका स्वभाव बड़ा मिलनसार और सरल है और आप और आपके सहकारी कम्पाउन्डर अपने कर्तव्य के पूरे पाबन्द हैं। रोगी आपके इलाज से पूर्ण सन्तुष्ट हो कर जाते हैं। राजपूताना निवासियों को इस सुविधा से लाभ उठाना चाहिये।

—एक अनुभवी

भरतपुर साहित्य सम्मेलन

सम्मेलन की तैयारियां जोरों से हो रही हैं। इसके लिये पण्डाल बन रहा है, उसका प्रायः आधा काम समाप्त हो गया है। प्रतिनिधियों के बहुत से क्वार्टर्स तैयार हो चुके हैं, शेष भी बन रहे हैं। 'तुलसी वाटिका' में चार जलाशय तैयार हो गये हैं, उनके आस पास फुलवाड़ी लगायी जा रही है। पण्डाल के लिये जो सड़कें तैयार हो रही हैं, उनके नाम 'तुलसी-पथ' धर्मपथ, श्री-पथ, आदि होंगे। पण्डाल में टेलीफोन की लाइन भी लगायी जा रही है। मा० मालवीयजी तथा धर्मसभा के अध्यक्ष श्री पंडित आदि के आग्रह पर सम्मेलन की तिथि फरवरी के बजाय २६ मार्च से ४ अप्रेल करदी गयी है। यह अवधि बढ़ जाने से आशा है कार्य और भी अधिक अच्छा हो सकेगा।

यह निश्चय किया गया है कि साहित्य प्रदर्शिनी में सभी प्रकार की और सभी प्रकाशकों की पुस्तकें रक्खी जावें, अतः प्रकाशकों से निवेदन है कि वे अपनी प्रकाशित पुस्तकों की एक एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा स्वागत मन्त्री साहित्य सम्मेलन के पते पर भेज दें। प्रदर्शिनी हो जाने के बाद पुस्तकें उन्हें लौटा दी जावेंगी। इस प्रदर्शनी के लिये श्री झालावाड़ नरेश ने मौर्यवंशी राजा दुर्गदेव का एक प्राचीन शिला लेख भेजा है। भरतपुर राज्य की प्रत्येक तहसील से भी हस्त लिखित पुस्तकें संग्रह की जा रही हैं।

खादी प्रदर्शनी के सम्बन्ध में श्री हरिभाऊजी उपाध्याय तथा देशपांडेजी यहां आये थे। उन्होंने पण्डाल का निरीक्षण किया और प्रदर्शनी के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श किया। यह उद्योग किया जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में प्रत्येक प्रान्त का हाथ का बना सूत और हाथ का बुना खद्दर बताया जाय, तथा बम्बई, मद्रास, गुजरात और बंगाल आदि के व्यक्तियों द्वारा हाथ से कतते और बुनते हुए खद्दर का प्रदर्शन किया जाय। इस अवसर पर भरतपुर राज्य की कला प्रदर्शनी भी करने का आयोजन हो रहा है।

साहित्य सम्मेलन के सभापतित्व के लिये प्रयत्न हो रहा है। निश्चित होने पर नाम घोषित कर दिया जायगा। सम्पादक सम्मेलन के सभापतित्व के लिये स्वतन्त्र सम्पादक पं० अम्बिकाप्रसादजी वाजपेई से प्रार्थना की गई है। समाचारपत्र-प्रदर्शिनी के लिये पत्र-संचालकों को अपने अपने पत्र स्वागत समिति के नाम भिजवाना आरम्भ कर देना चाहिये। प्राचीन पत्रों की फाइल भी रजिस्ट्री द्वारा भेज दें।

—प्रकाशन मंत्री

× × × ×

श्रीयुत क्षेमानन्दजी राहत सम्मेलन की सफलता के लिये खूब प्रयत्न कर रहे हैं। कलकत्ते में कवि सम्राट रविन्द्रनाथ टगोर आदि को निमन्त्रित कर वहां से बेजवाड़ा, गुण्टूर तथा मुसली पटम होते हुए गत २२ जनवरी को वे मद्रास पहुंचे। दक्षिण के नगरों में दौरा करते हुए त्रिपुर, कोयम्बटूर, कालीकट, सलेम, मदूरा आदि गये। तीन चार नगरों में भाषण दिये। देशभक्त कोण्डा वेंकटप्पय्या पन्तलु तथा अन्य कई सज्जनों ने सम्मेलन में आने का वचन दिया है। ता. ३ की रात को साहूकार पेठ में तीन मण्डलों द्वारा निमन्त्रित एक सभा हुई जिसमें डेढ़ घण्टे तक राहतजी का भाषण हुआ। ४ ता. को फिर श्रीसत्यमूर्ति के सभापतित्व में 'भाषा समस्या' पर उनका भाषण होने वाला था और वहीं सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि भी निर्वाचित किये जाने थे। मद्रास से राहतजी हैदराबाद, बम्बई, तथा नागपुर आदि का दौरा करते हुए राजपूताना को वापिस लौटेंगे।

—सम्वाददाता

चीन का स्वातंत्र युद्ध

गतांक में कहा गया था कि चीन की राष्ट्रीय सरकार और ब्रिटेन के दूतों में सन्धि की जो बातचीत चल रही थी, वह बन्द हो गयी। चीन की राष्ट्रीय सरकार के परराष्ट्र सचिव श्री यूजीन चेन ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी प्रकार के समझौते के पूर्व शान्त वातावरण की आवश्यकता रहती है किन्तु इधर जब से समझौते की बातचीत आरम्भ हुई है तभी से ब्रिटिश प्रजा की जान माल की रक्षा के बहाने पर शंघाई में ब्रिटिश फौज एकत्र होने लगी है, जिसका अर्थ इसके सिवा और क्या हो सकता है कि ब्रिटेन राष्ट्रीय चीन को धमका कर समझौता करा लेना चाहता है। ऐसा समझौता वास्तविक समझौता नहीं हो सकता, न उससे कोई परिणाम ही निकलेगा, अतः वास्तविक समझौते के लिये यह आवश्यक है कि ब्रिटेन शंघाई में एकत्रित की गयी फौज को वापिस हटा ले जिससे कि धमकी का भाव जाता रहे और शांतिपूर्वक बातचीत हो सके। श्री चेन के इस वक्तव्य के औचित्य एवं न्याय होने में किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता। किन्तु स्वार्थी ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल के श्री अमरी और बिरकेन आदि सदस्यों ने इस पर यह कहना शुरू कर दिया कि चीनी सरकार के इस रुख का कारण यह है कि उसके पीछे अन्य शक्तियां काम कर रही हैं जो कि चीन की भलाई नहीं चाहती बल्कि चाहती है संसार में विप्लव और ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश, वह शक्ति रूस है। चीन और ब्रिटेन में समझौता होने में जो कठिनाई हो रही है उसका कारण चीन उतना नहीं है जितना कि यह रूस। उक्त दोनों सदस्यों के इस कथन का इसके सिवा और क्या आशय हो सकता है कि वे चीन में बोलशेविक हौआ खड़ा कर अन्य शक्तियों को उसके विरुद्ध उभाड़ें। किन्तु चीन और रूस की सोवियट सरकार दोनों ने ही इसका तुरन्त खण्डन कर उनकी इस चाल को मात दे दी है। श्री चेन ने स्पष्ट ही कह दिया है कि चीन के पीछे किसी दूसरी शक्ति के होने की बात सर्वथा निराधार है। युद्ध का वातावरण हटाये जाने पर चीन समझौते के लिये सदैव तैयार है। इसी प्रकार रूस के परराष्ट्र सचिव का कहना है कि सोवियट सरकार चीन के स्वातंत्र्य आंदोलन से सहानुभूति अवश्य रखती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसने चीन सरकार को ब्रिटेन से समझौता न करने की सलाह दी है। वास्तव में यह तो इंगलैंड की अनुदार सरकार की ही गलती है कि उसने सेना की धमकी देकर समझौता कराने की नीति चलानी चाही जिससे कि असफल होने पर अब वह अपनी इस गलती को सोवियट पर लादना चाहती है। अस्तु

इसके बाद ब्रिटेन की नीति में परिवर्तन दिखायी देने लगा है। उसने चीन स्थित पर राष्ट्र दूत श्री ओमैली को सूचना दी है कि वह बातचीत बन्द न कर चीन के प्रस्ताव पर विचार करें। तदनुसार श्री ओमैली के, ब्रिटिश सेना को शंघाई से हटा कर हांगकांग भेजने की बात स्वीकार कर लेने पर, चेन ने उनसे फिर समझौते की बात चीत शुरू करदी है।

सिर्फ १०) में फोनोग्राफ

तरुण राजस्थान

यश, वैभव, सुख की चाह नहीं,
परवाह नहीं, जीवन न रहे।
यदि इच्छा है, यह है जग में,
यह स्वेच्छाचार दमन न रहे।

रविवार, माघ शुक्ला १२ सम्वत् १९८३

बीकानेर में वायसराय

शासकों एवं अधिकारियों के दौरे तथा शिकार-आखेट की प्रथा, नयी नहीं, पुरानी है। पहिले ज़माने में भी शासक एवं अधिकारीगण राज्य में दौरे और शिकार आखेट किया करते थे। किन्तु उस समय इनका उद्देश्य होता था अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन तथा हिंसक पशुओं के वध द्वारा कृषि एवं जनता की रक्षा। आज भी प्रत्येक नये वायसराय, गवर्नर एवं अजेण्ट आदि के आगमन पर देश, प्रान्त एवं रियासतों में उनके दौरे की प्रथा जारी है, किन्तु इस समय उसका उद्देश्य सर्वथा बदल गया है। प्रजाहित की अपेक्षा अब केवल लड़ों २ की अपनी राजनैतिक स्वार्थसिद्धि तथा बतख बटेर आदि अहिंसक प्राणियों के वध द्वारा अपना मनोरञ्जन, यही इस समय के दौरे एवं शिकार-आखेट का परम उद्देश्य रह गया है। यह युग यन्त्र प्रधान युग है। अतः अधिकारियों के भी प्रायः प्रत्येक कार्य यन्त्र की तरह सधे रहते हैं। दौरे का प्रोग्राम पहिले से ही निश्चित हो जाता है। अधिकारी किस समय, किस मार्ग से, किस सवारी में, कहां जायंगे, किस समय उनका भोजन होगा, उस समय कौन कौन वहां उपस्थित रहेगा, कौन कौन क्या २ बोलेगा, और कौन उसका क्या उत्तर देगा आदि प्रत्येक साधारण से साधारण बात पहिले ही से तै हो जाती है और बिना किसी असाधारण आवश्यकता के उस में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सब बातें तै करते हैं स्थानीय अधिकारी, इस लिये स्वभावतः ही कार्यक्रम अत्यन्त सावधानतापूर्वक ऐसे ढांचे में ढाला जाता है, कि साधारण जनता का आगन्तुक सज्जन से कहीं साक्षात्कार न हो जाय, जिस से कि वह अपनी शिकायत, यदि कोई हो तो, उस तक पहुंचा सके। ऐसे अवसरों पर पुलिस एवं सेना द्वारा सर्व साधारण के आवागमन के मार्गों का घण्टों पहिले रोक दिया जाना तो साधारण सी बात हो गयी है, कहीं कहीं तो सन्दिग्ध पुरुषों के मकानों तक पर पहरा बिठा दिया जाता है। विशेष कर देशी रियासतें इन बातों में सब से अधिक सावधानी दिखाती हैं, यहां तक कि कभी २ लोग बिना कारण बताये और लिखित आज्ञा दिये, निर्वासित कर दिये जाते हैं। परिणाम यह होता है कि आगन्तुक वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं हो पाता, ऊपरी शान शौकत से, जिसमें कि कोई बात उठा नहीं रक्खी जाती, वह साधारण स्थिति का अन्दाज़ा कर सन्तोष कर लेता है, और कितना ही सहृदय एवं न्यायप्रिय होने पर भी जनता की उसके हाथों कोई वास्तविक भलाई नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ राजपूताना में करौली आदि तथा मध्यभारत में झाबुआ आदि रियासतें शासन की अव्यवस्था एवं प्रजा के कष्टों के कारण काफ़ी बदनाम हैं। इधर दोनों ही प्रांतों-राजपूताना तथा मध्यभारत- के ए.जी० जी क्रमशः कर्नल पेटर्सन तथा श्री ग्लैंसी भले आदमी कहे जाते हैं। किन्तु पिछली बार जब यही पेटर्सन साहब करौली तथा ग्लैंसी साहब झाबुआ गये तो वहां खूब लम्बी चौड़ी दावतें उड़ा कर वहां के शासकों की प्रशंसा के तराने अलाप आये, बिचारी प्रजा पर इन प्रशंसित महानुभावों की स्वेच्छाचारिता, विलासप्रियता एवं शासन की अनुत्तरदायिता के कारण क्या क्या बीतती है, और उसे दूर करने के लिये शासकों का क्या कर्त्तव्य है, इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। कहा भी कैसे जाता, कोई प्रसङ्ग आता तब न? वहां न तो प्रजा की ओर से उसके कष्टों की याद दिलाकर उस ओर ध्यान आकर्षित करा सकने वाले प्रजा प्रतिनिधियों की उन तक पहुंच थी; न उसका हाल जानने की किसी को चिन्ता थी। वहां तो स्वागत, भेंट, शिकार, दावत और परस्पर प्रशंसात्मक भाषणों के बाद विदाई, यह कार्यक्रम निश्चित था, उसे यन्त्र की तरह पूरा किया और चले आये। जिस प्रजा के गाढ़े पसीने की कमाई के बल पर इन दावतों और आमोद-प्रमोद के साधन जुटाये जाते हैं, उसके सुख दुःख की किसी को क्या परवाह? ठीक यही बात वायसराय साहब के हाल के बीकानेर के दौरे के सम्बन्ध में हुई। जैसा कि विगत और गतांक के सम्वादों में प्रकाशित हो चुका है वायसराय के स्वागत की धूमधाम में कोई बात उठा न रखी गयी थी, और इसके लिये बीकानेर नरेश कहीं परदेश कमाने नहीं गये थे, यह सब कुछ हुआ उसी प्रजा के गाढ़े पसीने की कमाई के बल पर। किन्तु न तो महाराजा के मुंह से न उनके महमान वाइसराय महोदय की ज़बान शरीफ़ा से उसके हित के सम्बन्ध में कोई बात निकली। दोनों को अपने अपने स्वार्थों की पड़ी हुई थी। एक को जब से भूतपूर्व वाइसराय लार्ड रीडिंग ने निज़ाम की उत्तर देते हुए देशी राज्यों के भीतरी शासन में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, कि 'देशी राज्यों के प्रजाजनों के कल्याण का अन्तिम उत्तरदायित्व बृटिश सरकार पर है, इस लिये वैसी आवश्यकता के होने पर ब्रिटिश सरकार का कोई कार्य मैत्री सन्धि के प्रतिकूल नहीं समझा जायगा,' तब से बराबर यह चिन्ता लगी हुई है कि देशी राज्यों के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की इस नवीन नीति का जिस प्रकार सम्भव हो सके प्रतिकार किया जाय और दूसरे को इस बात का खयाल है कि इस नव घोषित नीति की तीव्रता के कारण इन लोगों में कहीं सजीव असन्तोष की वृद्धि न हो जाय। इसलिये एक ओर जहां महाराजा ने इस अवसर पर अपने भाषण में यह कह कर कि 'यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि देशी नरेशों की यह अभिलाषा हो कि उनकी भीतरी स्वाधीनता में बाहर का दबाव न हो, उनके भावी श्रेय को भय न हो तथा देशी रजवाड़ों और उनके नरेशों के विषय में सुविचारपूर्वक नीति स्थिर करने के लिये उससे सम्बन्ध रखने वाली सब बातों की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली जावे', वायसराय से अपने शासन काल में तथा भावी शाही कमीशन के समक्ष पुरानी अ-हस्तक्षेप की नीति पर स्थिर रहने का वचन ले लेने का प्रयत्न किया, वहां दूसरी ओर वायसराय साहब ने भी उत्तर में यह गोलमाल बात कह कर कि 'अवश्य ही देशी रजवाड़ों के सम्बन्ध में मेरा और मेरी सरकार का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, फिर भी मैं श्रीमान को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस साधारण नीति का सरकार हृदय से अनुसरण करना चाहती है, वह देशी रियासतों के भीतरी मामलों में निरपेक्ष रहने की ही है जो कि पिछले समय में भी रही है' उनका समाधान कर दिया। लोगोंकी कष्टों-असुविधाओं की बातें महाराजा तो कहने ही क्यों लगे; वायसराय महोदयने भी जानने की कोशिश न की; अवकाश ही न था क्योंकि कार्यक्रम ऐसा ही था। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि इन दौरों से जनता का तो कोई लाभ होता नहीं, केवल शासकवर्ग आपस में इनके द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते है। खास कर देशी नरेश इनसे काफ़ी

लाभ उठाते हैं। जनता की कमाई का पैसा पानी की तरह बहा कर खूब शान के साथ इनके स्वागत एवं मनोरञ्जन की सामग्री जुटा देते हैं, स्वयं इनके सामने अत्यन्त नम्र, और विनयशील एवं सभ्य बन जाते हैं, और ये लोग इन ऊपरी बातों से ही राज्य की साधारण स्थिति को सन्तोषजनक समझलेते हैं और इसीलिये जब कभी इनके विरुद्ध कुछ शिकायत एवं आन्दोलन होता है, तो उस पर सहज ही विश्वास नहीं करते, और इसलिये इन लोगों की स्वेच्छाचारिता में कोई बाधा नहीं पड़ती। इस स्थिति को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि वाइसराय, गवर्नर या ए० जी० जी० जब कभी दौरे पर आंय, तब वे केवल स्थानीय अधिकारियों के बनाये प्रोग्राम से ही न बंधे रहें, वरन स्वतन्त्र रूप से जनता एवं उसके प्रतिनिधियों से भी मिलने का प्रयत्न करें। सहयोगी 'संस्थानी स्वराज्य' के शब्दों में यदि ये लोग कभी अचानक आकर राजधानी से केवल पांच मील दूर की ही ग्रामीण जनता की दशा देखने का कष्ट करें तो राजधानी में इन नरेशों द्वारा की गयी तड़क भड़क का सब रहस्य खुल कर उनके शासन की शोचनीय स्थिति का चित्र उनकी आंखों के सम्मुख नाचने लगे! और उस दशा में, हम समझते हैं, यदि वे ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन करना अपना धर्म समझते होंगे तो उनका कर्त्तव्य होगा कि वे इन नरेशों को अपनी प्रजाकी दुरावस्थाको दूर करने को वाध्य करें।

देशी रियासतों की जनता को भी अब ज़रा अधिक सजग एवं सतर्क होने की आवश्यकता है। राज्य में वाइसराय आदि के आने की तिथियां प्राय: पहिले से ही मालुम हो जाती हैं, अत: उसे अपने प्रतिनिधियों द्वारा पत्र व्यवहार आदि कर पहिले से ही अपनी कष्ट कथा सुनाने के लिये कुछ अवसर प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये। इधर नरेश शाही कमीशन के सम्मुख अपने अधिकारों को अक्षुण्ण बनाये रखने का दावा करने के लिये ज़ोरों से प्रयत्न करने लगे हैं, अत: उसे भी चाहिये कि वह शासन में उत्तरदायित्व प्राप्त करने का ज़ोरों से प्रयत्न करे। इसके बिना उसका उद्धार सम्भव नहीं।

सम्पादकीय टिप्पणियां

जोधपुर में साम्प्रदायिकता का विष

नवीन शासन-सुधारों द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रथक प्रथक जातीय एवं साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की विषाक्त नीति का देश की राजनैतिक प्रगति पर जो घातक परिणाम हुआ है, वह कौंसिलों के पिछले चुनाव के समय की दलबन्दी एवं देश की वर्तमान विशृंखल स्थिति से भली भांति प्रकट है। गत शासन सुधार जांच कमिटी के सम्मुख गवाही देते हुए गरम से गरम से लेकर नरम से नरम राजनीतिक दल के प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने तीव्र स्वर से इस घातक नीति का विरोध कर इसे शीघ्रातिशीघ्र उठा देने की आवश्यकता बतलाई थी और स्वयं वर्तमान वायसराय लार्ड आयर्विन इसके अनौचित्य को स्वीकार कर इसे प्रोत्साहन देने से अपनी असहमति प्रकट कर चुके हैं। किन्तु खेद है कि ब्रिटिश भारत में जिस नीति का इतना कटु अनुभव हो चुका है, और जिसे उठा दिये जाने के लिये वहां इतना प्रयत्न किया जा रहा है, हमारे मारवाड़ के कुछ मुसलमान भाई उसी विषाक्त नीति का बीज जोधपुर में बो कर उसे अंकुरित एवं पल्लवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने वायसराय साहब को इस बात की शिकायत करते हुए तार दिया है कि "जोधपुरके सभी शासन-सदस्य और जज हिन्दू और अंग्रेज़ हैं, और चूंकि मारवाड़में हमारी आबादी एक सातवां हिस्सा है, अत: आप जोधपुर-नरेश को सलाह दें कि वे एक शासन-सदस्य मुसलमान नियुक्त करें तथा हम में कोई ऐसा योग्य मुसलमान नहीं है अत: उसकी नियुक्ति ब्रिटिश भारत से करें।" मुसलमानों की इस मांग का अहमदाबाद की 'अंजुमने-खुद्दामुल—मुसलमीन' ने भी समर्थन किया है। इस प्रकार का प्रयत्न कई महीनों से हो रहा है, और अहमदाबाद से ही उसे बल मिल रहा है। हमें खेद है कि हम इस आन्दोलन का किसी प्रकार समर्थन नहीं कर सकते, इतना ही नहीं, उसका विरोध करते हैं। यह इसलिये नहीं कि हम मुसलमानों की उचित आकांक्षाओं के विरोधी हैं, वरन इसलिये कि हम प्रथक प्रतिनिधित्व की घातक नीति के दुष्परिणामों से भली भांति परिचित हैं, और उसे अपनी देशी रियासतों में प्रचलित होते नहीं देखना चाहते। हां, यदि मारवाड़ में उस पद के लिये कोई योग्य मुसलमान होता और उसके अधिकार की अवहेलना की गयी होती, तो हम उसके अधिकार के लिये लड़ना अपना कर्त्तव्य समझते। किन्तु जब उनमें कोई इस योग्य है ही नहीं, तो बाहर से बुलाने का कदापि समर्थन नहीं किया जा सकता। रियासतों के अन्दरूनी मामलों में अ-हस्तक्षेप की नीति ऐसे ही अवसरों के लिये काम में लायी जा सकती है, अत: हमें आशा करनी चाहिये कि वाइसराय उनकी इस अनुचित प्रार्थना पर कुछ ध्यान न देंगे और जोधपुर नरेश स्वेच्छा से किसी योग्य भारतीय को उक्त पद पर नियुक्त करेंगे।

द्वेष, खालिस द्वेष

जयपुर के नाबालिग़ी शासन में अङ्गरेज़ जातिका द्वेषी स्वभाव प्रतिबिम्बित हो रहा है। वह जिसके पीछे पड़ा है हाथ धोकर पड़ा है। इसका एक उदाहरण साखून के ठिकाने से मिलता है। यहां के जागीरदार नाबालिग हैं। ऐसी अवस्थामें उनकी विधवा माता ही उनकी सब से बड़ी और स्वाभाविक हितचिन्तक हो सकती हैं। परन्तु महकमे मुंसरमात ने बात २ में इस महिला की इच्छाओं को ठुकरा दिया। अवांछनीय कर्मचारियों को अलग करने, नाबालिग को योग्य शिक्षा दिलाने, उन पर योग्य अभिभावक रखने, योग्य अवस्था में योग्य कन्या से उनका जीवन सम्बन्ध जोड़ने आदि की हर एक सूचना जो इस महिला ने राज्य को दी, वे सब रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। महकमेखास में 'दहू' प्रेसीडेण्ट तो मातहतों की पीठ ठोंकते ही हैं, रेजीडेंट और ए.जी.जी.के पास तक इस असहाया अबला की सुनाई न हुई। उल्टे बेवारी का खर्च, जो ठिकाने से दिया जाता था, वह भी बन्द कर दिया गया। अब एक नई कृपा यह हुई है कि यद्यपि मुन्शी हरदयालसिंह वकील को ठिकाने की वकालत से अलग हुये छ: मास हो चुके थे और जागीरदार की माता ने मुन्शी खैरुद्दीन वकील को अपना प्रतिनिधि बनाने की राज्य को सूचना दे दी थी, परन्तु यह मामूली सी प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हुई। यह है जयपुर के वर्तमान अङ्गरेज़ प्रधान शासन का व्यवहार एक गरीब किन्तु कुलीन महिला के साथ! इसे यदि द्वेष, खालिस द्वेष न कहें तो क्या कहें?

हवा का रुख

देशी राज्यों के भविष्य की हवा का रुख किधर है, यह प्रो० बी. के. ठाकुरके विचारोंसे, जो उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद की साहित्य सभा में व्याख्यान देते हुये प्रगट किये हैं, भली भांति मालूम हो जाता है। वे बोले "छोटे २ राज्यों को बड़ी रियासतोंमें मिला कर ऐसे सम्मिलित राज्य निर्माण होने चाहियें जो काफ़ी बड़े हों और उन सब में नियंत्रित शासन सत्ता होनी चाहिये। मुझे इस मार्ग की कठिनाइयों का ध्यान है और मुझे यह भी भ्रम नहीं है कि इसके लिये भूमि तैयार करने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। नरेशों को यह विश्वास करा देना आसान नहीं कि ऐसे परिवर्तन पर ही उनका भावी उज्वल हो सकता है, परन्तु रियासतों से भरा होने के कारण गुजरात के लिये खास तौर पर यह प्रश्न इतना महत्व पूर्ण है कि इस विषय पर लोगों को पूरा ध्यान देकर उपरोक्त परिवर्तन कराने के लिये शान्त किन्तु ज़ोरदार आन्दोलन करनेकी ज़रूरत है।"

देशी राज्यों की समस्या।

(लेखक—एक भूतपूर्व दीवान)

पहले लेख में हमने देशी राज्यों की प्रजा के कुछ कष्टों पर विचार किया था। ये उस घोर निरंकुश सत्ता का परिणाम हैं जो विकास-क्रम से मुक्त है। दूसरे कष्ट वे हैं जो रियासतों की पराधीनता से उत्पन्न होते हैं। रियासतों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्थान नहीं है, वे आपस में भी सर्वथा असम्बद्ध हैं। उनका जो कुछ सम्बन्ध है, वह भी ब्रिटिश सरकार के मार्फत है। रियासतों की प्रजा को विदेश जाने के परवाने, वहां उनकी स्थिति और आवागमन के सम्बन्ध में रियासतों के और ब्रिटिश इस प्रकार दो अधिकारियों का मुंह ताकना पड़ता है। रियासतों का परस्पर व्यवहार सब पोलिटिकल अफ़सरों [illegible] हो [illegible] है [illegible] हुई रियासतों के झगड़े भी यही विदेशी निपटाता है। रियासतों की प्रजा दो स्वामियों की गुलाम होती है, एक दृश्य अर्थात् राजा और दूसरा अदृश्य अर्थात एजेण्ट। यह दूसरा स्वामी पहले से भी अधिक स्वेच्छाचारी होता है और उसकी कारवाइयों का पर्दे में होने से जनता को कुछ पता भी नहीं लगता।

रियासतों का क़ानून भी विचित्र होता है। अधिकांश क़ानून तो ब्रिटिश भारत से ज्यों के त्यों ले लिये जाते हैं और शेष प्रत्येक रियासत अपने लिये अलग बना लेती है। इससे क़ानून और भी पेचीदा हो जाता है। अधिकांश राज्यों में न्यायाधीश ब्रिटिश भारत के से योग्य भी नहीं होते। न हाईकोर्ट के जजों की भांति उनके पद सुरक्षित होते हैं और उन पर गुप्त प्रभाव भी पड़ते रहते हैं। अतः क़ानून के विषय में रजवाड़ों की प्रजा की दशा अत्यन्त करुणाजनक है। अन्याय के उदाहरण पर उदाहरण होते रहते हैं। बहुधा केवल राजा की मरज़ी अथवा रेज़ीडेण्ट के संकेत पर बिना अभियोग लगाए ही लोग बरसों तक जेल में डाल दिये जाते हैं। ब्रिटिश भारत में जब कभी ऐसा होता है तो जनता की हलचल से पार्लिमेंट का आसन तक हिल जाता है। परन्तु रियासतों में तो प्रजा को अपना विरोध प्रकट करने तक का अधिकार नहीं है।

कुछ शिकायतें रियासतों की भी उचित हैं। रेज़ीडेण्टों की मनमानी के आगे तो ये तङ्ग रहती ही हैं, सरकार के अप्रत्यक्ष करों का भार भी इन पर कम नहीं है। सरकार की चुंगी का बोझा इन पर भी अपने आप लद जाता है। इनसे पूछा भी नहीं जाता। यह सच है कि ब्रिटिश सरकार समस्त देश की रक्षा करती है, उसमें रियासतें भी शामिल हैं। परन्तु इस रक्षा के खर्च के लिये तो रियासतों ने सरकार को पहले ही बड़े २ भू भाग दे रखे हैं और वे साम्राज्य सेना की टुकड़ियां भी रखती हैं। अतः समस्त देश के कर का उचित हिस्सा रियासतों को भी मिलना चाहिये। यह बात भी कही जाती है कि रियासतें अपने बन्दरगाहों पर चोरी से माल मंगाती और आने देती हैं और इस प्रकार विपुल कमाई अनुचित उपाय से करती हैं। रियासतों को डाक, तार और ब्रिटिश भारत की शिक्षण संस्थाओं, औषधालयों और अंग्रेज़ सरकार की वैदेशिक राजदूत संस्थाओं से मुफ्त में लाभ मिल जाता है। ऐसी दशा में रियासतों और ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध स्थिर करते समय इन बातों का भी योग्य विचार होना चाहिये।

बहुत से राज्यों के छोटे आकार और बिखरे हुए इलाक़ों से भी बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। बिखरे हुए इलाक़ों के कारण उन्हें ज़रूरत से अधिक कर्मचारी रखने पड़ते हैं और छोटे आकार के कारण अयोग्य कर्मचारियों से थोड़े वेतन पर काम लेना पड़ता है। अतः सारी रियासतों का फिर से एक भाषा और काफ़ी आमदनी के हिसाब से विभाजन होना चाहिये। दो तीन करोड़ से कम की आय वाले राज्य एक दूसरे में मिला कर बड़ी रियासतें बना देनी चाहिये। तभी काफ़ी वेतन देकर, योग्य आदमी और अलग २ काम के लिये अलग २ कर्मचारी रखे जा सकते हैं इस योजना के अनुसार भारत के बीस तीस बड़े २ प्रान्त बनाये जा सकते हैं। इन में रियासतों और अंग्रेज़ी इलाक़ों का भेद रखने की ज़रूरत नहीं। कहीं अंग्रेज़ी इलाक़े के गवर्नर के आधीन छोटी २ रियासतों के शासक कलैक्टर हो जायगे और कहीं बड़ी २ रियासतों के नरेश ही वंश परम्परागत गवर्नर बन जायंगे जिनके मातहत ब्रिटिश ज़िले भी होंगे। इस योजना के अनुसार एक भाषा भाषी सब ज़िले मिला कर एक प्रान्त बनेंगे और शासन सर्वत्र एक प्रकार का होगा। अर्थात् क्या प्रजा-निर्वाचित गवर्नर और क्या वंश परम्परागत नरेश-गवर्नर या कलैक्टर सभी को प्रजा-प्रतिनिधियों की सत्ता के आधीन रहना पड़ेगा। इस शर्त के होने से अंग्रेज़ी इलाक़े की प्रजा को रियासत की प्रजा बन जाने में कोई आपत्ति न होगी। नरेशों को एक निश्चित रक़म उनके खर्च के लिये दे दी जायगी। परन्तु उनके ऊपर आश्रित रहने वाले बहु-संख्यक कुटुम्बियों को मुफ़्तख़ोरे न रह कर साधारण प्रजा की श्रेणी में आ जाना पड़ेगा, जैसा इङ्गलेण्ड आदि में होता है।

यदि यह योजना बहुत कड़ी समझी जाय तो कुछ सुधार तो रियासतों को अर्वाचीन शासन पद्धति के अनुकूल तुरन्त करने ही चाहियें। पहिला सुधार तो यह हो कि प्रत्येक राज्य में निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाएं बना कर उन्हें बृटिश भारत जितना अधिकार-दायित्व तुरन्त दे दिया जाय और राजा लोग अपने अधिकारों को ज़रा सीमित कर लें। इससे एक तो शासन की बहुत सी खराबियां दूर हो जायंगी और दूसरे रेज़ीडेण्टों का दबाव भी कम हो जायगा, क्योंकि प्रजा प्रतिनिधियों की सतर्कता और समर्थन का बल नरेश को मिलता रहेगा। दूसरा सुधार हो नरेशों के व्यक्तिगत खर्च में कमी करना। आज तो इस खर्च का कोई पार ही नहीं है। नरेशों को इस विषय में साधारण मनुष्य को [illegible] ते विचार बना लेने चाहियें। सार यह है कि बजट पर-राज्य के आय व्यय पर प्रजा का नियंत्रण अत्यावश्यक है। तीसरा सुधार यह होना चाहिये कि क़ानून की नियमित व्यवस्था की जाय, जज योग्य रखे जायं और उनका पद सुरक्षित हो। भारतीय प्रिवी कौन्सिल में रियासत के फ़ैसलों की अपील हो सके। चौथे रियासत में नौकरियां नियमानुसार दी जानी चाहियें। नौकर योग्य हों, उनके पद सुरक्षित [illegible] और वे रियासत के नागरिक हों। बाहर वालों [illegible] को स्थान तभी दिया जाना चाहिये, जब रियासत में योग्य आदमी न मिलें। भारतीय नौकरी कमीशन की सहायता इस विषय में रियासतों को मिलती रहनी चाहिये। पांचवा सुधार यह हो कि भारत सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि वह अखिल भारत के हित के किसी काम में व्यवस्थापिका सभा की मंजूरी से रियासतों को भी सहमत और शामिल कर ले। इसके लिये एक नयी व्यवस्थापिका सभा स्थापित होनी चाहिये, जिसमें सारी रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि हों। वर्तमान व्यवस्थापिका सभाओं में यदि कोई ऐसा प्रस्ताव हो, जिसका रियासतों पर भी असर पड़ता हो तो उसे कार्य रुप देने से पहले इस नई व्यवस्थापिक सभा की मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिये। इस में चुङ्गी, रेल और मदिरा निषेध आदि अखिल भारतीय विषयों की चर्चा होनी चाहिये और फिर किसी राज्य विशेष को अलग डफली बजाने की सत्ता नहीं रहनी चाहिये। कच्छ राज्य में होकर कराची से

बम्बई तक रेल बनाने के मामले का इसी सम्मिलित कौन्सिल द्वारा निर्णय होना चाहिये। छठा सुधार यह होना चाहिये कि नरेशों को लड़का गोद लेने की जो स्वतन्त्रता इस समय दी हुई है वह छीन ली जाय। कोई राजा निर्वंश मर जाय तो उसका राज्य अंग्रेज़ी इलाक़े में मिला लेना चाहिये २ इससे अपनी २ रियासतों की समस्या सहल होती जायगी। सातवां सुधार यह हो कि उपरोक्त नयी व्यवस्थापिका सभा बन जाने के साथ साथ समुद्र तट के पास वाली रियासतों का चुङ्गी विभाग भारत सरकार अपने हाथ में ले ले और इसी प्रकार सारी रेलों को। अलग अलग सिक्का और अलग २ चुङ्गी भी उठ जानी चाहिये। इससे रियासतों को आय में ... कमी हो वह उन्हें दूसरे करों से पूरी कर लेने दी जाय।

इन सुधारों के अतिरिक्त और बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं। यह प्रकट है कि ज्यूं २ समय बीतता जा रहा है और राजनीतिक विचार विकसित होते जा रहे हैं त्यूं २ देशी राज्यों की वर्तमान स्थिति अधिकाधिक समय के प्रतिकूल होती जा रही है। ...ल में भारत सरकार ने निज़ाम महोदय को जो पत्र लिखा था उसने एक ... की ... सौ वर्ष से जो गड़बड़ी फैल रही थी उसे बहुत कुछ दूर कर दिया। अब यह समस्या दृश्य बन गई। अब शब्दजाल और चिकनी चुपड़ी बातों के दिन गये। परन्तु इस लेख का यह हेतु नहीं कि ... सरकार की वर्तमान रचना में उसे रियासतों पर अधिक अधिकार दिये जायं। अब सारे शासन के प्रश्न का तुरन्त निपटारा होना चाहिये। भारतीय शासन की जांच होनी चाहिये और भविष्य में रियासतों का क्या स्थान होगा, इस बारे में स्पष्ट और निश्चित प्रस्ताव होने चाहियें। इस कमीशन में अधिकांश सदस्य इंग्लैंड के सभी राजनैतिक दलों के उत्तम राजनीतिज्ञ और थोड़े से सदस्य नरेशों, उनकी प्रजाओं और ब्रिटिश भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये। रियासतों के साथ सरकार की जो सन्धियां हुई हैं उनमें ऐसी बड़ी सत्ता वाला कमीशन ही परिवर्तन कर सकता है। यह साम्राज्यभर का प्रश्न है और जो साम्राज्य की भलाई के लिये ज़िम्मेवार हैं उन्हें बड़ा साहस करके इस प्रश्न का निपटारा करना चाहिये। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि धीरे धीरे, सरल उपायों से इलाज न होगा; यहां तो चीर फाड़ कर क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा।

साहित्य--सुमन

मेरी धारा अविरल रूप से बह रही है। अखूट स्वच्छ सलिल को देख कर कुछ लोगों ने आ कर कहा—हमें भी अपना खेत ज़रा सींच लेने दो न? मैंने उनके दीन मुख की ओर देखा और आंखों ही से कुछ कह कर उन्हें विदा कर दिया।

× × ×

संध्या झिझकती हुई मेरे द्वारा पर आ रही थी। मैंने अपने थाल में कुछ हंसते हुए दीपों को सजाया। पड़ोस के अन्धेरे घर से एक क्षीण आवाज़ आई—'बाबू! दया करके क्या अपना एक दीपक हमें भी दे सकोगे?' मैंने उस अन्धेरे घर की तरफ़ और फिर थाल की ओर देखा और मन ही मन मुस्कराया!

× × ×

आह, मत पूछो, मेरे अलबेले सुमनों की सजावट! सौरभ ने जैसे फ़ौजकशी की हो। कान तक फैली हुई बड़ी २ आंखों वाले छैल ने आ कर कहा—कहा नहीं, मगर हां, कहा ही? ज़ुबान से यदि कहता तो उसकी इतनी बड़ी २ आंखें व्यर्थ न होतीं? मैं क्या कहता?—मैं तो स्तब्ध हो कर उसकी ओर देखता ही रहा।

× × ×

पर वह जगज्जयी छैल भला ऐसे कब मानता! मैंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने हाथ बढ़ा कर कहा—यह बड़ा दुष्ट है! देखो तो कितना सौन्दर्य नष्ट कर रहा है। मेरे मुंह से अस्फुट स्वर में निकला—यह तो देवता की पूजा की सामग्री है।

× × ×

लोग एक दम बोल उठे—झूठ है! बताओ, कहां है तुम्हारा देवता? उन रसीली आंखों ने भी इशारे से पूछा—कौन हैं, वह तुम्हारे देव? मैं कुछ न बोला। एक बार उन आंखों की ओर देख कर चुपचाप अनन्त आकाश की ओर देखने लगा।

× × ×

उसी समय मेरे मन में किसी ने गाया--हाय, मैं कैसे बताऊं कि वह कौन है, जब कि मैं खुद ही नहीं जानता!

—क्षेमानन्द राहत

साहित्य-परिचय

चलता पुर्जा--लेखक कनका प्रसाद चौधरी। प्रकाशक 'सरोज पुस्तकालय' १५१, चितपुररोड (मछुआ बाजार) कलकत्ता। पृष्ठ संख्या लगभग १५० मूल्य १)

पुस्तक लेखक की १४ कहानियों का संग्रह है, जिनमें की अधिकांश 'मतवाला' में प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री चन्द्रशेखर पाठक ने इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुये लिखा है कि 'लेखक का यह प्रथम ही प्रयास है, तथापि इसकी अधिकांश कहानियां उनकी सुरुचि और सदुद्देश्य का खासा परिचय दे रही हैं। ......हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दी जगत् इन कहानियों का आदर कर लेखक का उत्साह बढ़ाने की चेष्टा करेगा।' पाठकजी हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखकों में हैं, अत: उनकी भूमिका के उक्त शब्द पढ़ कर हम हैरान हैं कि पुस्तक के परिचय में हम क्या लिखें? हमने इसकी जितनी कहानियां पढ़ीं, कम से कम हमें तो उनमें कोई ऐसी नहीं मालूम हुई, जिसके लिये हम लेखक की प्रशंसा कर सकें। हमें उनमें न तो कहीं विचारों की मौलिकता दिखाई दी, न भाषा का लालित्य, न मनोरञ्जन की सामग्री और न कुछ उपदेश। ऐसी दशा में हम नहीं समझते कि हम पाठकजी की आशा कैसे पूर्ण करें।

अमृतधारा की सिल्वर जुबली का स्मारक--लेखक कवि विनोद वैद्यभूषण प० ठाकुरदत्त शर्मा। प्रकाशक अमृतधारा कार्यालय लाहौर। मूल्य कुछ नहीं।

अब से लगभग एक वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध अमृत धारा के आविष्कर्ता पं० ठाकुरदत्तजी शर्मा ने अमृत धारा की सिलवर जुबली (रजत जयंती) मनाई थी। उसी समय मनुष्य के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के सम्बन्ध में अपने २५ वर्षों के अनुभव का निचोड़ संक्षेप में निबन्ध रूप में इस पैम्फलेट में भर दिया है, जो कि अत्यन्त उपयोगी है। प्रत्येक स्वास्थ्य प्रेमी को इसे मंगा कर पढ़ना और उससे लाभ उठाना चाहिये।

मेवाड़ का राजद्रोह अभियोग

श्री० रामनारायणजी चौधरी का बयान

(गतांक से आगे)

और फरवरी सन् १९२२ के अन्त में जो पूर्व में मेवाड़ में कांफ्रेन्स हुई थी उसमें मैंने ही महाराणा साहब के प्रति भक्ति रखने का प्रस्ताव रखा और पास कराया। इसके सिवाय फरवरी के शुरू सप्ताह में बिजोलिया के समझौते की शर्तें तय हो रही थीं उस समय श्रीयुत हालैन्ड की बेगार का सर्वथा उठा देने में विशेष आपत्ति करने की मन्शा न थी, तो भी मेरे ही प्रस्ताव पर उस शर्त में ऐसे लफ्ज रखे गये थे, जिन से महाराणा साहब के प्रति पूर्ण श्रद्धा प्रकट होती है। वास्तव में हमारे देशी नरेशों के प्रति श्रद्धा रखना हमारे लिए एक सैद्धान्तिक बात है। क्योंकि भारतवर्ष की वर्तमान गुलाम अवस्था में देशी राज्य और देशी नरेश ही भारत की प्राचीन स्वतन्त्रता के चिन्ह स्वरूप हैं। कोई भी देश प्रेमी हिन्दुस्थानी उनके अधिकारों में कमी कराने की मूर्खता नहीं करेगा। बल्कि वह जी जान से उन अधिकारों की वृद्धि करेगा। इस पर भी हिन्दु आ सूर्य का पदवी मेरे जैसे हिन्दू के लिए एक पवित्र और गौरव की चीज है जिस की प्रतिष्ठा में कमी करने का प्रयत्न तो कर ना दूर रहा उसके लिए विचार भी करना मेरे लिए असह्य है। इस प्रकार महाराणा साहब के प्रति जो कुछ भी भक्ति मैंने दिखलाई है या उसका प्रचार किया है वह किसी पर अहसान करने या दिखलाने के लिये नहीं किया है किन्तु अपना कर्तव्य समझ कर किया है। यहां पर यहां बतला देना मैं जरूरी समझता हूं कि रियासत शब्द से मैं मैं केवल नरेश का अर्थ लेता हूं न उसे नरेश की व्यक्तिगत सम्पत्ति समझता हूं जिसके राजा और प्रजा दोनों सम्मिलित अधिकारी हैं। इस लिए नरेश के प्रति श्रद्धा रखते हुए मैंने उनकी प्रजा के हितों का भी उतना ही ध्यान रखा है। मैंने इस बात की चेष्टा की है कि महाराणा साहब की प्रजा के कष्ट दूर होकर उन्हें मनुष्योचित अधिकार मिलें ताकि असन्तोषाग्नि भीतर ही भीतर सुलग कर किसी राज विप्लव या हिंसात्मक रूप में न फूट निकले। मैंने अपने कार्य में हमेशा रियासत की प्रतिष्ठा और उसके स्वातन्त्र्य का खयाल रखा है। इसका यही सबूत है कि मेवाड़ में हम लोगों की मदद से कई वर्षों से आन्दोलन चलते हुए भी आज तक रियासत की शिकायत ब्रिटिश अधिकारियों से सम्बन्ध हुआ है बस मालूम होने के बाद में ही हुआ है कि वे अधिकारी रियासत के भेजे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस वर्ष के शुरू में मेवाड़ के एक ठिकाने में पाशविक अत्याचार हो रहे थे उस समय एक दायित्व पूर्ण ब्रिटिश अधिकारी ने हम लोगों से उन अत्याचारों की रिपोर्ट लेकर कार्यवाही करने का वचन भी दिया था, परन्तु हमने रिपोर्ट नहीं दी। मैं ऊपर कह चुका हूं कि रियासत के प्रति कर्तव्य पालन करने में मैंने प्रजा के हित का उतना ही ध्यान रखा है जितना नरेश के प्रति श्रद्धा रखने में। परन्तु मैंने हमेशा शांत और वैध उपायों से काम लिया है। हां मैंने वे तरीके जरूर इस्तेमाल किये हैं जिनसे वे उपाय ज्यादा से ज्यादा कारगर हो सकें यह जानते हुए कि महाराणा साहब के हृदय में प्रजा के प्रति प्रेम है, किन्तु लोगों के दुःख उन तक नहीं पहुंच पाते हैं मैंने लोगों को ऐसे मार्ग पर चलने की सलाह दी है जिनसे उनके कष्ट महाराणा साहब तक जल्दी से जल्दी और साफ तौर पर पहुंच जांय। इसलिये मैंने लोगों को बताया है कि राजा प्रजा के लिये पिता के समान है और हाकिम अहलकार वगैरह उसकी भलाई अर्थात सेवा के लिये रखे गये नौकर हैं। क्योंकि पिता का नौकर पुत्र का भी नौकर होता है और यदि नौकर नाबालिग या अज्ञान या कमजोर पुत्र को ठगने की कोशिश करे तो पुत्र का अधिकार है कि वह उस नालायक नौकर की अनुचित आज्ञा न मान कर उसकी शिकायत पिता से करे, उसे दण्ड दिलवावे, और इतने पर भी नौकर की बुद्धि ठिकाने न आवे तो उसे अलग करवादे। मेरा विश्वास है कि मेवाड़ में जनता के अधिक कष्ट और बातों के साथ सरकारी नौकरों की मनमानी के कारण है और जनता की तरफ से इसी मनमानी का विरोध होने के कारण ये लोग जनता और उसकी सेवा करने वालों के लिए झूठे २ अड़ंगे खड़ा करते हैं। मैं यह जरूर जानता हूं कि अधिकांश छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत कम, अधिकार बहुत ज्यादा, योग्यता बहुत थोड़ी और उन पर नियंत्रण कुछ भी न होने से ही मनमानी करते हैं। और इसलिए जनता के कष्टों के साथ २ इस अवस्था का भी समय २ पर वर्णन किया है, तथापि यह मैंने स्पष्ट बतला दिया है कि तनख्वाहें कम होना नौकरों की तरफ से प्रजा को सताने और लूटने के लिए कोई उज्र नहीं है, और न हो ही सकता है। वे इसके लिए अपने स्वामी से अधिक मांगें और न मिले तो और कोई मंहगा खरीददार ढूंढें—परन्तु उन्हें केवल शब्दों से अपने स्वामी की प्रशंसा करने की आड़ में उसकी पुत्रवत् प्रजा पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना देशद्रोह और राजद्रोह दोनों है। कलील तनख्वाह पाने वाले लोगों के लिए उनका पेट किसी अंश में उनकी छोटी मोटी भूल को क्षन्तव्य बना सकता है, किन्तु जिले के हाकिम और उनके बराबर या ऊपर के दर्जे वालों एवं जागीरदारों के लिए जिनमें से कइयों के खर्च और स्वेच्छाचार की कोई सीमा ही नहीं है कोई उज्र नहीं हो सकता। इसके सिवाय मैंने लोगों को न केवल हिन्दुस्थान में बनी हुई प्रत्युत मेवाड़ की ही बनी हुई चीजें काममें लाने की सलाह दी है। क्यों कि भारत की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में प्रत्येक देशी राज्य से निकला हुआ धन चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा ब्रिटिशराज्य में ही क्यों न जावे उस एक राज्य के लिए तो एक प्रकार से हानि ही है। मेरे इस परामर्श का प्रभाव थोड़ा बहुत लाखों और क्रियात्मक रूप से हजारों पर पड़ा है। हम लोगों की मदद से मेवाड़ में जहां २ आन्दोलन चल रहा है वहां तो १०० में से लेकर ६० तक आदमी अपने ही राज्य की शुद्ध खादी पहने हुए मिलेंगे। इसके कारण हजारों आदमियों का रोजगार चल गया है और लाखों रुपया रियासत का रियासत में ही रहने लग गया है। साथ ही कपास की खेती भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है हम लोगों के प्रयत्न से अनेक पाठशालाएं वर्षों से चल रही हैं और नित नई खुल रही हैं एवं लोगों में बच्चों को पढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मुकद्दमेबाजी में तो अभूतपूर्व कमी हुई है और ग्राम २ में

ग्राम-रक्षक-दल स्थापित हो जाने से चोरियों की संख्या बहुत घट गई है, और आत्म रक्षा का भार एवं साहस सर्व साधारण में पैदा हो गया है। कितनी ही जगह के किसानों ने पंचायती सहयोग समितियां कायम कर बोहरों की लूट से रक्षा पाली है। इन पंचायती दूकानों की बदौलत किसानों को ब्याज और कर्ज से जो रक्षा हुई है, वे अपनी पूंजी का सदुपयोग भी करना सीखे हैं। समाज सुधारक काम भी लोगों में काफी हुआ है। प्रायः सभी नेलित क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों द्वारा गायेजाने अश्लील गीत सर्वथा बन्द होकर उनका स्थान अच्छे भजनों ने ले लिया है। बाल्य विवाह और फिजूल खर्ची के विरुद्ध भी सार्वजनिक अन्तःकरण काफी जागृत हो गया है। साथ ही सफाई, तन्दुरुस्ती और स्त्रियों एवं अछूत कहाने वाली जातियों के प्रति न्याय, पूर्वक व्यवहार करने की प्रवृति हो चली है। लाखों मनुष्योंने शराब पीना और हजारों ने अफी[illegible] दूसरा नशा छोड़ दियाहै। गर्जकिहम लोगों ने कवि के इस दोहे के अनुसार —

आपा कुल री बाहरू रही अनरुभी रेत्त,
वाल्ही उण मेवाड़ री, सदा पागड़े जेत॥

महाराणा साहब की प्रजा को राज्य निष्ठ होने के साथ साथ देश प्रेमी और सबल बनाने की चेष्टा की है। क्योंकि हम लोगों का विश्वास है कि बलवान, बुद्धिमान और स्वलम्बी प्रजा ही राज्य के गौरव और उसकी स्वाधीनता की रक्षा करने में समर्थ हो सकती है। हमारा यह भी विश्वास है कि उसी प्रकार किसी अंश में तैयार हुई जनता के सामयिक साहाय्य ने ही मेवाड़ में होने वाले हस्तक्षेप में बहुत कुछ बाधा दी है। यदि विचार कर देखा जाय तो हमारे आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य केवल सुराज्य अर्थात् अच्छे शासन की ओर ही रहा है। तथापि मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हमारी महत्वाकांक्षा मेवाड़ को बड़ोदा, मैसूर और त्रावणकोर से भी आगे बढ़ाले जाने की है क्योंकि हमारा विश्वास है कि आज जब कि संसार भर में अनियन्त्रित शासन के विरुद्ध जो भाव फैल रहे हैं, उन्हें देखते हुए हमारे देशी राज्य एक ही उपाय से कायम रह सकते हैं। वह उपाय यह है कि देशी राज्यों में यद्यपि राज्य कर्ता देशी होने के कारण वहां एक प्रकार से स्वराज्य है तथापि सुराज्य और स्वराज्य पूर्ण रूप से होने की आवश्यकता है। इन दोनों शब्दों से मेरा अभिप्राय यह है कि स्वेच्छाचार, पोलखाता और अन्य त्रुटियां दूर होकर एक ओर शासन त्रुटि हीन बना दिया जाय और दूसरी ओर सब राज्य कार्य प्रजा की सलाह से होकर उसे नरेशों की छत्र छाया में उत्तरदायित्व पूर्ण बना दिया जावे। भरतवर्ष में जो आन्दोलन चल रहा है और देशी राज्यों की नौकरों की गल्तियों के कारण उनकी जो बदनामी सर्वत्र हो रही है उसे देखते हुए भी भविष्य में देशी राज्यों का अस्तित्व बनाये रखने के लिए उपरोक्त सुधारों की अनिवार्य आवश्यकता है। परन्तु ये बातें भविष्य की हैं और अभी तक हम लोगों ने जनता के अपूर्व मानसिक विकास को ध्यान में रख कर ये बातें उस रूप में नहीं रखी हैं। यद्यपि वर्तमान समय के विचारों ने राजा के पद और उस शब्द के अर्थ में बहुत भारी परिवर्तन कर दिया है और जहां कहीं भी उन्नत देशों में यह पद अभी तक बना हुआ है वहां उसे बुरा करने के बिलकुल अयोग्य बना दिया गया है। और नरेश स्वयं प्रजा की भलाई नहीं २ सेवा करने में ही रत रहने को अपना सब से बड़ा कर्तव्य समझते हैं। खास इंगलैण्ड में इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो भी मैंने लोगों के सामने राजा का वही पद और अर्थ बताया है जो हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अर्थात् ईश्वर ने राजा को प्रजा की रक्षा के लिए पैदा किया है, और इस कारण प्रजा की रक्षा करना उसका परम धर्म है। साथ ही उस के बदले प्रजा का भी यह कर्तव्य बता दिया गया है कि राजा को उचित कर दे। इसके बाद जमीन किस की है यह प्रश्न ही नहीं उठता और उसे ईश्वर की सम्पत्ति कहना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि एक निर्विवाद सत्य है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि किसान राजा को कमा कर देते हैं और इसी लिए पुत्र रूप में ही सही, ये वास्तविक अन्न दाता हैं। ऐसा कहनेसे नरेशोंकाकोई अपमान नहीं प्रत्युत बहुत से पहले के राजा और कुछ २ अब भी ऐसा मानते और ऐसा कहते आये है कि हम तो तुम्हारा दिया खाते हैं। मैसरोड़ रावजी ने ऐसे विचार मेरे सामने कई बार प्रकट किये हैं। तथापि जैसे पुत्र पिता को कमा कर देते हुए भी अपने आप को पिता का अन्नदाता नहीं समझता इसी प्रकार लोग भी उलटा अपने नरेश को ही अन्नदाता समझते आये हैं, और मैंने इस भाव में कभी बाधा देने की कोशिश नहीं की प्रत्युत समय समय पर उचित रूप से इसकी पुष्टि की है।

इन बातों से आपको अब कोई शक नहीं रह गया होगा कि मैंने जो कुछ किया है सत्य को सामने रख कर राजा और प्रजा के हित की दृष्टि से राजस्थान और मेवाड़ के सच्चे सेवक की भांति किया है। अब मैं आपको यह दिखलाने का प्रयत्न करूंगा कि हमला कराने और समझौते में बाधा देने का जो मुझ पर इलजाम लगाया गया वह कितना झूठा है और कौन इसका जिम्मेवार है। हमारी शान्ति प्रियता के बारे में इससे बढ़ कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि वर्षों से हम लोगों की सहायता से हजारों अशिक्षित मनुष्यों का आन्दोलन चल रहा है, उन पर ऐसे २ अमानुषिक अत्याचार हो रहें हैं कि जिनसे मनुष्य क्या देवता भी विचलित हो जांय, स्त्रियों का अपमान किया गया, और निरपराधों को खुब सताया गया फिर भी आज तक अनेक अवसर पर हमारे साथियों ने अपनी बलि दे कर ऐसे बखेड़ों को बचाया है। यही नहीं मैं तो यहां तक दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों की सेवाओं ने ही मेवाड़ में अराजकता के जन्म में बाधा दी है। जब लोगों के दुःख असह्य हो जाते हैं तो वे उसे कहना और उजागर प्रकट करना चाहते हैं। पहले वे कानून की सीमा के भीतर रह कर ही काम करते है परन्तु यदि कानूनी आजादी छीन ली जाय, उन्हें अपने मनोगत भाव प्रगट न करने दिये जांय और उनका मुंह बन्द कर दिया जाय तो हृदय दुःख और आवेग हाथ पैरों द्वारा प्रगट होता है। लोग फिर छिप कर मार पीट द्वारा अपने को दुःख देने वालों से बदला लेते हैं। शिक्षित युवक बम, बन्दूक और पिस्तोलों से अत्याचारियों का प्रगट या छिप कर मारना शुरू कर देते हैं और अशिक्षित कानून की परवा न कर क्रोधान्ध हो साधारण औजारों और हथियारों से। प्रत्येक देश के अत्याचार के इतिहास में ये बातें पाई जाती हैं। राजस्थान की अनेक रियासतों में भी समय २ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। नरसिंहगढ़ में अभी ६ मास हुए एक पुलिस आफिसर दिनमें बन्दूक से मार दिया गया। दूर क्यों, मेवाड़ में ही एक नायब हाकिम के लगभग पांच साल पहिले कचहरी में तलवार से दो टुकड़े कर दिये गये। कोटे में शहर लूट लिया गया। इत्यादि। इस आपत्ति से राजस्थान को बचाने के लिए ही राजस्थानी सार्वजनिक कार्यकर्ता अनेक रुकावटों में वैध आन्दोलनों का ही प्रचार करते रहे हैं

उन्हीं प्रयत्नों का फल है कि लोगों में उद्दण्डता करने की इच्छा नहीं होती, यदि कुछ थोड़ा बहुत दोष है तो उसके जिम्मेवार रियासत के नौकर ही हैं, क्योंकि वे ही लोगों को नैध पथ पर ले जानेके कामों में सदा बाधक होते रहे हैं। यही क्यों, यदि आगे भी यही गलती जारी रही तो मुझे भय है कि मेवाड़ में भी अराजकता का जन्म हो जायगा। यह सब बातें मैं इस लिये कह रहा हूं कि अब तक आपके सामने हमारे विपक्षियों द्वारा रखी हुई हमारे काम में जबरदस्ती दिखाई गई बुराईयां नहीं आई है। उस कार्य का वास्तविक रूप नहीं आया है जो आपको नीचे की घटनाओं से भली भांति विदित हो जायगा।

(१) नवम्बर स० १९२० में मैंने ही बीजोलिया में जा कर पहले एहल वहां के ठिकाने और किसानों के बीच में समझौते का प्रयत्न किया था और वर्षों से एक दूसरे से मिलना पाप समझने वाले दोनों पक्षो में व्यवहार का नाता शुरु कराया था।

(२) शुरू मार्च स० १९२१ में बिजोलिया के कामदारों और किसानों में समझौता कराने के लिए कोटा राज्य में जो लोग शमिल हुए थे उनमें मैं भी मौजूद था और यथा शक्ति समझौते में सहायता दी थी।

(३) अप्रेल सन १९२१ में दो साल से पड़त रखी हुई जमीन को बाने के लिए मैंने ही जाकर बिजोलिया के किसानों को राजी किया था।

(४) उसी मास में जब कि बेगूं के किसान मुझे अपनी पंचायत में बुलाकर ले गये थे, उस समय बेगू रावजी के बहुत से कर्मचारी दल बल सहित उपद्रव करने को आ पहुंचे और किसान भी बे तरह उत्तेजित हो उठे थे, वैसी परिस्थिति में चैन केवल शान्त रहे प्रत्युत मेरे ही प्रयत्नों से कर्मचारियों में से मुखियाओं के पंचायत में भाषण भी हुए।

(५) उसी मास में जब बेगूं रावजी ने शान्त जनता पर क्रोधान्ध हो गोलियां चलाई थी, उस समय मैं ही लोगों को समझा बुझा कर रियासत के भूतपूर्व दीवान डामोदर लालजी के पास लाया था, और तहकीकात के लिए उनसे दरख्वास्त कराई थी।

(६) जून मास में बिजोलियां के किसानों और किसानो के अजमेर में सुलह की जो बात चीत हुई उसमें मैंने भाग लिया था। (अपूर्ण)

राजस्थानियों से निवेदन।

राजस्थानी मारवाड़ी भाइयों की उदारता तथा दान शीलता जग प्रसिद्ध है। भारतवर्ष का कोई भी शहर ऐसा न होगा जहां मारवाड़ी धनिकों ने लोकोपकारार्थ धर्मशालायें तथा धार्मिक भावों को जागृत रखने के लिऐ बड़े २ मंदिर न बनवाये हों। अभी हाल ही में तीन चार मास पहिले नागपुर में एक मारवाड़ी धनिक सज्जन ने ७, ८ लाख रुपया लगा कर एक मंदिर बनाया था। उसी प्रकार पुष्कर राज में कलकत्ते के एक धनिक सज्जन एक मंदिर बनवा रहे हैं जिसमें आज तक २, ३ लाख रुपया लग चुका होगा और कई लाख और लगने की सम्भावना है। यह सब कुछ होते हुए भी प्रति दिन बढ़ने वाली देशकी निर्बलता और रोजाना हजारों की तादाद में बढ़ने वाली हिन्दू इसाइयों की संख्या को देख कर हृदय विदीर्ण हो जाता है। जिसके हृदय में जरा सा भी हिन्दूत्व का अभिमान होगा, जिसके हृदयी में थोड़ा सा भी देश प्रेम होगा—अपने पूर्वजों के कर्तव्य का ध्यान होगा, उसे देश की यह दशा देख कर दुःख होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि, जिस देश के इतिहास को देखने से कायर पुरुषों में भी वीरता का संचार होता हो, जिस देश के वीर पुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ने से समस्त संसार को कर्तव्य पालन का पाठ मिलता हो, जिस देश की नारी जाति ने धर्म, देश तथा जातीय गौरव रक्षणार्थ हंसते २ अपने प्राणों की आहुती दी हो, वह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का प्यारा राजस्थान आज प्रति दिन रसातल को जा रहा है। आज उसी राजस्थान में नित नये और नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं और विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। फिर भी वे अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तनिक भी आगे न बढ़ रहे हैं, इनसे अधिक दुःखद बात क्या होगा। वीर भूमि राजस्थान के अभिमानियो! क्या आपने कभी मारवाड़ देश का इतिहास पढ़ा है, क्या आपने उस प्रात स्मरणीय वीर महाराणा प्रतापसिंह जी का जीवन चरित्र पढ़ा है, क्या आपने दुर्गादास राठौड़ के जीवन का मनन किया है, क्या आप ने मेवाड़ के उद्धारक दानी वीर भामाशाह का जीवन चरित्र सुना है? यदि आप वीर भूमिका इतिहास देखें तो उसके प्रत्येक पन्ने पर "कर्तव्य पालन के लिए मरना सीखो" यही लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं आपसे यह सविनय प्रश्न करता हूं कि मारवाड़ देश के गौरव रक्षणार्थ आपके पूर्वजों ने किन २ मार्गों का अवलम्बन किया था? क्या भामाशाह ने अपनी सारी सम्पत्ति मंदिर बनाने तथा उसके लिए पुजारियों की व्यवस्था करने में खर्च की थी? क्या वीर दुर्गादास राठौड़ ने मंदिर बनवाना ही अपना धर्म समझा था? इन्हों ने ऐसा न करके स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्म भूमि मारवाड़ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। वीर भूमि राजस्थान का इतिहास ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से परिपूर्ण है। बड़े खेद की बात है कि हमारे धनिक मारवाड़ी भाई लाखों रुपया ईंट और पत्थरों के मंदिर बनवाने में लगाते हुए जरा भी विचार नहीं करते। आज राजस्थान में अन्य प्रान्तों से कई गुना अधिक हजारों की संख्या में हमारे देश भाई ईसाई बनाये जाते हैं। आज महाराणा प्रतापसिंह के मेवाड़ में, भामा शाह की मातृ भूमि में, दुर्गा दास राठोर के प्यारे मारवाड़ में, प्रति दिन नये २ अत्याचार होते हैं और उस देश का सच्चा अभिमान रखने वाली मारवाड़ी जाति अपना सच्चा कर्तव्य भूल जाय तो इस से बढ़ कर उस के लिए दुःख की बात और क्या हो सकती है। आज मारवाड़ में सैंकड़ों व्यायाम शालाएं खोल कर जनता को शक्तिशाली तथा साहसी बनाने की जरूरत है ताकि संकट के समय में वे अपनी, अपने प्यारे धर्म की तथा इन मंदिरों की रक्षा कर सकें। आज मारवाड़ में सैंकड़ों अनाथालय खोलने की जरूरत है, ताकि हजारों हिंदू बालकों को मौत के मुंह से तथा ईसाई, मुसलमान होने से बचाये जायं। बनी आपने तथा आपके पूर्वजों ने लाखों रुपया लगा कर जिन मन्दिरों को बनवाया है, उनकी रक्षा कौन करेगा? अतः हिन्दुओं की वर्तमान हालत देखते हुए आप निश्चय याद रखिये कि संसार में उसी जाति के मन्दिर कायम रह सकते हैं, वही धर्म तथा वही जाति जीवित रह सकती है कि जिस में हर प्रकार का बल हो, एवं धर्म पर मरने का शौक हो। अतः अपनी हीन दशा पर विचार कीजिये और बलवान बन कर देश जाति और धर्म की रक्षा करिये

जी० आर० पाण्डेय

तरुण राजस्थान

धन, वैभव, सुख की चाह नहीं,
परवाह नहीं, जीवन न रहे।
यदि इच्छा है, यह है जग में,
यह स्वेच्छाचार दमन न रहे।

सोमवार, श्रावण कृष्णा ८ सम्वत १९८३

चौधरीजी के मुकद्दमे का फैसला

(१)

श्री रामनारायणजी चौधरी गत ११ मई को जयपुर में आज्ञा भंग के अपराध पर गिरफ्तार हुए थे और पूरे डेढ़ महीने तक मुकदमा चलने के बाद ग[illegible] जून को जयपुर के सिटी मजिस्ट्रेट श्री लक्[illegible]ायण ने उन्हें ताज़ीरात जयपुर की १७७ अथवा [illegible]ज़ीरात हिन्द की १८८ दफ़ा के अनुसार दोषी मान कर ५ महीने की सख़्त सजा दी थी। इस की चर्चा करते हुए उस समय हमने लिखा था कि मजिस्ट्रेट साहब के फैसले की नक़ल मिलने पर हम उसकी विस्तृत आलोचना करेंगे। इस बात को एक महीना हो गया; पर आज से पहिले हम इस विषय पर कुछ न लिख सके। इसका कारण हमारी सुस्ती नहीं, मजिस्ट्रेट साहब की कृपा है! जैसा कि हम गताङ्क में बता चुके हैं गत ४ जुलाई को ही हमने डबल फ़ीस दे कर फैसले की नक़ल लेने का प्रयत्न किया था, पर मजिस्ट्रेट साहब ने यह कह कर नक़ल देने से इनकार कर दिया कि मुक़द्दमा अखबार पर नहीं चलाया गया था, रामनारायण पर चलाया गया था, और तुम रामनारायण के रिश्तेदार नहीं हो, इसलिये तुम को नक़ल नहीं मिल सकती। इस पर चौधरीजी के भाई से दरख्वास्त दिलायी गयी; पर वह भी यह कह कर अस्वीकृत कर दी गयी 'कि नक़ल देने से रेनाल्ड साहब (प्रेसीडेण्ट कौंसिल) नाराज़ होंगे!!!' यहां पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि अदालत का फैसला एक पब्लिक (सर्वसाधारण के उपयोग की) चीज़ मानी जाती है, और उदाहरण एवं नजीर के तौर पर कोई भी व्यक्ति उचित फ़ीस देकर उसकी नक़ल ले सकता है – उस के लिये यह कैद नहीं है कि दरख्वास्त देने वाला मुक़द्दमे से सम्बन्धित व्यक्ति का रिश्तेदार ही हो। यह बात एक बार नहीं, दो दो, तीन तीन बार मजिस्ट्रेट साहब के ध्यान में लाई गई, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं था, इसलिये वे इस सम्बन्ध में निश्चय न कर सके, तो कम से कम रिश्तेदार की दरख्वास्त के लिये तो वे स्वयं स्वीकार कर चुके थे, उसे उन्होंने किस क़ानून से अस्वीकृत कर दिया? क्या वह भी स्टेट का कोई Un written law (अलिखित क़ानून) है, कि जिस काम के करने से रेनाल्ड साहब की नाराज़ी का खयाल हो वह न किया जाय, फिर चाहे वह काम कितना ही जायज़ और लाज़मी क्यों न हो? वास्तव में बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब के फैसले में बहुत सी ऐसी भद्दी त्रुटियां हैं, जिन की काफ़ी आलोचना हो सकती है, मजिस्ट्रेट साहब शायद खुद भी इस बात को अनुभव करते थे इसलिये उन्होंने इस प्रकार नक़ल देने से इनकार कर उससे बचने का ढंग निकाला। अस्तु। अब हमें चौधरीजी के वकील द्वारा एक नक़ल मिली है, उसके आधार पर हम कुछ लिखने में समर्थ हो सके हैं। फैसले पर कुछ लिखने के पूर्व एक बार मुकद्दमे का पूर्व इतिहास सामने रख लेना आवश्यक होगा।

सन् १९२४ में सीकर के नये सीनियर आफ़ीसर साहब ने एक ओर किसानों पर नया टैक्स लगाया और दूसरी ओर सायर का महसूल बढ़ाने का नोटिस निकाला जिससे किसानों और व्यापारी वर्ग दोनों में भयङ्कर असन्तोष फैल गया। किसानों ने पहिले स्वयं ठिकाने में विनय अनुनय की, पर कुछ सुनवाई न हुई, और अन्त में वे जयपुर पुकारू पहुंचे। बिजोलिया (मेवाड़) में इसी प्रकार ठिकाने और किसानों के बीच मनमुटाव हो जाने पर सेवा-संघ के आदेशानुसार चौधरीजी ने किसानों के मामले को बड़ी योग्यता से [illegible]कारियों के सामने रक्खा था, यह बात किसी तरह सीकर के किसानों को मालूम थी, इसलिये उन्होंने भी इस समय चौधरीजी से सहायता करने की इच्छा प्रकट की। उधर व्यापारी वर्ग अपने ऊपर लगने वाले प्रस्तावित चुंगी-कर के सम्बन्ध में 'तरुण राजस्थान' द्वारा आन्दोलन करना चाहता था। इसके लिये उस ओर से कई लेख आये। आफीसर साहब से और 'तरुण' के तत्कालिक प्रबन्धक सम्पादक से यह समझौता हो चुका था, कि उनके विरुद्ध जो शिकायतें आवेंगी, उन्हें प्रकाशित करने के पूर्व, उनकी एक प्रति सीनियर आफीसर साहब के पास भेज कर उनका उत्तर मंगा लिया जाया करेगा। तदनुसार चुंगी-कर सम्बन्धी जो शिकायतें आईं, चौधरीजी उनको भेजते रहे। शिकायतें बढ़ती जाती थीं, इसलिये पत्र व्यवहार से मामला सुलझता न देख सीनियर आफीसर साहब ने चौधरीजी को सीकर आकर सारी परिस्थिति समझ जाने को लिखा। इस प्रकार एक ओर किसानों की तरफ़ से और दूसरी ओर सीनियर अफसर का निमन्त्रण पाकर चौधरीजी सीकर गये और सीनियर अफसर साहब के दिल्ली चले जाने के कारण वहां से तार आने पर दिल्ली जाकर उनसे मिले और सारी परिस्थिति पर विचार विनिमय हुआ। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, किसान अपनी शिकायत लेकर जयपुर चले गये थे, और किसी प्रकार वापिस लौटने पर रज़ामन्द न थे। पर सीनियर आफीसर साहब के यह वचन देने पर कि उनकी बात सुनी जायगी और उन्हें किसी तरह तंग न किया जायगा, चौधरीजी उन्हें समझा बुझा कर सीकर वापिस लाये। वहां के ठिकाने और किसानों में समझौते की बात चीत शुरू हुई; पर ठिकाने के दुराग्रह के कारण समझौता न हो सका। इस पर चौधरीजी किसानों को वापिस जयपुर जाने की सलाह देकर अजमेर लौट आये; और समझौते सम्बन्धी सारे हाल चाल समाचार-पत्रों में छपवा दिये। ये बातें ठिकाने के अनुकूल न थीं, इसलिये ठिकाने के सीनियर अफ़सर साहब ने जयपुर के अधिकारियों से चौधरीजी की उल्टी सीधी शिकायतें कीं जिस पर वहां से ११ फरवरी १९२५ को निम्न लिखित आज्ञा चौधरी जी के नाम जारी हुई :—

"दरबार को मिली हुई सूचनाओं से ज़ाहिर होता है कि रामनारायण सम्पादक 'तरुण राजस्थान', शेखावाटी में असन्तोष उत्पन्न कर रहा है और एक ऐसे आंदोलन की तैयारी में संलग्न है, जिससे जनता की शान्ति भङ्ग होने का अन्देशा है. अत: यह आज्ञा दी जाती है कि वह इस आज्ञा के जारी होने के १२ घण्टे के अन्दर अन्दर जयपुर स्टेट की सरहद छोड़ कर चला जाय, और आगे बिना दरबार की आज्ञा लिये जयपुर राज्य के किसी भी भाग में प्रवेश न करे।"

७ मार्च को फुलेरे में चौधरी जी को यह हुक्म दिखाया गया; तब से वे १५ महीने तक वहां नहीं गये और इस बीच में दो बार जयपुर कौन्सिल के प्रेसीडेण्ट को लिखा कि जिन सूचनाओं के आधार पर उक्त आज्ञा जारी की गयी है, या तो उन्हें सत्य सिद्ध किया जाय या उन्हें अवसर दिया जाय कि वे अपनी निर्दोषिता

प्रमाणित करें, पर प्रेसीडेण्ट साहब कानों में तैल डाले बैठे रहे, और प्रार्थना पत्रों का कुछ उत्तर न दिया। तब अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का और कुछ उपाय न देख कर उन्होंने उक्त आज्ञा को भङ्ग कर जयपुर जाकर गिरफ्तार होने का निश्चय किया, जिससे कि उन पर मुकद्दमा चले और वे अपनी सफ़ाई दे सकें। तदनुसार अपने इस निश्चय की कौंसिल के प्रेसीडेण्ट को सूचना देकर वे ११ मई को जयपुर पहुंचे और उसी दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उन पर आज्ञा भङ्ग का मुक़द्दमा चला दिया।

—*—

सम्पादकीय टिप्पणियां

भरतपुर नरेश, सावधान!

भरतपुर की स्थिति दिन प्रति दिन शोचनीय होती जारही है। महाराजा उदार विचारों के व्यक्ति हैं, प्रजा के प्रति उनके हृदय में प्रेम भी है। पर, कुछ तो मेयोकालेज की खेलने कूदने की कर्तव्य परायणता विहीन शिक्षा उनमें इतनी घर कर गयी है कि मन में उदार और हृदय में प्रजाहित के भाव रखते हुये भी शिकार और खेल तमाशों के आगे उन्हें राज्य कार्य की ओर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं मिलती। कुछ अपने आप को आवश्यकता से अधिक नीतिज्ञ समझने वालों ने उनकी थोथी प्रशंसा के गीत गवा कर उनको उचित से इतना अधिक बढ़ावा दे दिया कि उन्हें अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हो रहा है कि शासन की त्रुटियों पर उनका ध्यान न होने से प्रजा के कष्ट बढ़ रहे हैं, और उसके हृदय में भीतर ही भीतर असन्तोष की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। प्रधान मन्त्री से यह स्थिति छिपी नहीं है; पर उन्हें इसके सुधार की इतनी चिन्ता नहीं है, जितनी समाचार पत्रों में अपनी प्रशंसा छपाने की। कुछ खुशामदी समाचार पत्रों को उन्होंने न मालूम चान्दी की गोली की मार से, न मालूम अपने जातीय प्रभाव से इस तरह दबा रक्खा है कि वे आंख मीच कर उनकी प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं, और फिर ये उनके ज़रिये महाराज पर अपना अधिकाधिक विश्वास जमाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि दो आदमी राहु और केतु होकर महाराज के पीछे लगे हैं, इनमें एक ये प्रधान मन्त्री महाशय हैं, और दूसरे सेठ दामोदर लाल। प्रधान मन्त्री महाशय की कूट नीति के सम्बन्ध में गत १६ ता० के अङ्क में संकेत किया जा चुका है; सेठ दामोदरलाल जी के दौर दौरे का हाल इसी अङ्क में अन्यत्र प्रकाशित है। हमें बतलाया गया है कि प्रजा के कष्टों की वृद्धि इन्हीं लोगों के कारण हो रही है; पर महाराजा पर इन लोगों ने इतना विश्वास जमा रक्खा है कि वे इनके विरुद्ध किसी बात पर ध्यान ही नहीं देते। इससे केवल प्रजा का ही अहित नहीं हो रहा है, वरन् स्वयं भरतपुर नरेश की स्थिति भी सन्देहास्पद होती जा रही है। कानों में कोई कह रहा है कि नौकरशाही इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रही है। वह चाहे तो महाराज को ढंग से उचित सलाह देकर और उनके आस पास का दूषित वातावरण सुधार कर इस परिस्थिति में सुधार कर सकती है। पर वह शायद किसी दूसरी ताक में है। वह शायद प्रतीक्षा में है उस दिन की, जब कि प्याला पूरा भर जाने पर वह अपने फौलादी पंजे की करामात अच्छी तरह दिखा सके। ईश्वर न करे, कभी वह दिन आया, और जिसके आने में यदि परिस्थिति यही रही तो कोई सन्देह नहीं, तो सचमुच में बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये हम अभी से अपनी आवाज़ बुलन्द कर कहते हैं—भरतपुर नरेश, सावधान!!! देखना कहीं आगे चल कर यह न कहना पड़े

का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूकि पुनि का पछताने!

कोटा के अधिकारियों से

हम इस बात को कई बार स्वीकार चुके हैं कि राजपूताना में यदि कोई सब से अधिक प्रगति शील राज्य है, तो वह कोटा है। यद्यपि दक्षिण के मैसूर, ट्रावनकोर अथवा गुजरात के बड़ौदा आदि राज्यों से वह अभी बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है, फिर भी जनता की बातों पर यहां जितनी जल्दी ध्यान दिया जाता है, और उसकी सुविधा का जितना अधिक ख्याल यहां रक्खा जाता है उतना राजपूताना की अन्य किसी रियासत में शायद ही रक्खा जाता हो। इसके लिये उस के प्रजा-प्रिय नरेश और प्रगति शील अधिकारी -दोनों ही प्रजा की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। पर एक शिकायत हम अर्से से सुनते आरहे हैं, उसकी ओर हम एक बार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित भी कर चुके हैं पर न मालूम क्यों उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। हम फिर उसकी ओर उन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वह शिकायत है किसी विषय में क़ानून बन चुकने के बाद उसका कड़ाई के साथ पालन न होना। विशेष कर बेगार के सम्बन्ध में यह शिकायत अधिक सुनायी देती है। इस अङ्क में भी अन्यत्र ऐसी ही एक शिकायत प्रकाशित है। क्या हम आशा करें कि अधिकारी उस पर ध्यान देकर भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ न होने देंगे एवं क़ानून के ठीक तौर पर पालन किये जाने की उचित व्यवस्था करेंगे?

पथिकजी

मित्र यदि अपने किसी कार्य की प्रशंसा करें तो कुछ आश्चर्य नहीं, उनके लिये यह स्वाभाविक ही है। पर यदि अपना विरोधी उसकी प्रशंसा करे तो उसका मूल्य अवश्य ही कहीं अधिक बढ़ जाता है। श्री पथिकजी के सम्बन्ध में अभी यही बात घटित हुई है। ग्वालियर का सहयोगी 'जयाजी प्रताप' उन पत्रों में से है, जो न केवल पथिकजी के कार्यों का ही विरोध करते रहे हैं, वरन उनकी नीयत तक पर हमला करने से बाज नहीं आये। वही जयाजी प्रताप अपने २२ जुलाई के अङ्क में लिखता है:—

श्री विजयसिंह पथि[illegible]दयपुर के जेलखाने में राजनैतिक [illegible] हैं। पथिकजी के विचारों से कोई भले ही सहमत न हो, परन्तु उनकी सचाई और उनके सेवा- भाव को कौन सन्देहात्मक दृष्टि से देख सकता है? उनकी रिहाई के लिये सब ही पत्रों ने उदयपुर दरबार से प्रार्थना की है, जिसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हम पत्रों में पढ रहे हैं कि जिस जेल में पथिकजी हैं, वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और खासकर वहां की गरमी का असर उनकी दृष्टि पर खराब पड़ता है। यह एक पोलीटिकल कैदी के लिये बहुत सख्त सजा है। हम भी नम्रता पूर्वक श्री महाराणा साहब से विनती करते हैं कि वे कृपा करके पथिकजी की 'नीयत' को देखें और जितनी सजा भुगत चुके हैं उसे काफी समझकर उन्हें अब क्षमा प्रदान करें। यदि अभी ऐसा करने को श्रीमान् तैयार न हों तो कम से कम पथिकजी को ऐसे स्थान में तो भेज देवें जहां वे अपने शरीर और खासकर आंखों को तो बचा सकें।

सहयोगी के इन उदार विचारों के लिये हम हृदय से उसके कृतज्ञ हैं। क्या उदयपुर के अधिकारी इस पर ध्यान देंगे?

लोकमान्य की स्मृति

आज १ ता० को समस्त भारत में लोकमान्य तिलक का वर्ष श्राद्ध मनाया जायगा। लोकमान्य राष्ट्रीयता की सजीव मूर्ति थे और उनके देहावसान के पांच वर्ष बाद भी आज उन्हीं के नाम पर प्रति सहयोगी दल अपनी नीति की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये ज़मीन आसमान एक कर रहा है। प्रति सहयोगी नीति देश के लिये उपयोगी हो या न हो यह

(शेष दूसरे पृष्ठ में)

विविध-विषय

देशी राज्यों में बेगार

अभी हाल ही में जेनेवा में जो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें,पूर्वीय देशों के मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में भी विचार हुआ था। वहां देशी राज्यों में प्रचलित बेगार की अमानुषी प्रथा पर बोलते हुये लाला लाजपतरायजी ने कहा कि देशी शासकों द्वारा शासित देशी भारत में बेगार की स्थिति के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वह वहां सार्वत्रिक तो नहीं है, किन्तु ब्रिटिश भारत की अपेक्षा उसका प्रचार अधिक अवश्य है। भार[illegible] का दायित्व इस सम्बन्धमें उतना अच्छी तरह निर्[illegible] नहीं है जितना अपने अधीनस्थ भूभाग के [illegible]। फिर भी ऐसे कई तरीके हैं जिन के द्वारा भारत सरकार और राष्ट्र संघ भी बेगार की प्रथा को उठा देने के लिये देशी नरेशों पर प्रभाव डाल सकते हैं जो कि वस्तुत: एक प्रकार से गुलामी ही है। भारत के देशी नरेशों का एक प्रतिनिधि राष्ट्र संघ की बैठक में सम्मिलित होने के लिये प्रति वर्ष आता है और मेरे विचार से राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों की ओर से उसे इतना इशारा कर देना मात्र ही पर्याप्त होगा कि वह अपने बंधु नरेशों को अपनी सीमा में इस प्रकार की मजदूरी न लेने के लिये राजी करने का सब से पहले प्रयत्न करे। भारत सरकार के उच्च पदस्थ अफ़सर भी रियासतोंमें उनकी सुविधा के लिये ली जाने वाली बेगार को अस्वीकृत कर एक अच्छा उदाहरण रख सकते हैं। यह प्रथा बन्द होनी चाहिये और वह तभी बन्द हो सकती है जब भारत सरकार अपने उच्च पदस्थ अफ़सरों पर नैतिक प्रभाव डाले।

भारत सरकारके प्रतिनिधि अतुलचन्द्र चटर्जी इस का कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सके। दे भी क्या सकते थे। राजपूताना और मध्य भारत की रियासतों में बेगार प्रथा जिस रूप में वर्तमान है, वह लोगों और नरेशों दोनों के लिये ही अपमानजनक है। राष्ट्र संघ में इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हो चुकी है। किन्तु नरेशों पर इस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या बाहरी दबाव पड़े बिना वे कुछ नहीं करेंगे?

मयूरभंज की कुछ आज्ञायें

मयूरभञ्ज बिहार प्रान्त में एक छोटी सी पहाड़ी रियासत है। 'फारवर्ड' के सम्वाददाता के कथनानुसार वहां की अवस्था बड़ी विचित्र हो रही है। वहां के कई कायदे और विधान बाबा आदम के जमाने के बने हुये हैं। उदाहरण के लिये वर्षों से वहां एक आज्ञा प्रचलित है जिसके अनुसार बिना पहले अनुमति लिये किसी प्रकार की राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक सभा नहीं की जा सकती। इस से भी बढ़ कर एक और विचित्र आज्ञा है, वह यह कि बिना महाराजा की आज्ञा लिये राज्य का कोई प्रजा जन पशु पक्षियों को नहीं मार सकता। मयूरभञ्ज पहाड़ी रियासत है जिसमें बड़े २ घने जङ्गल हैं और उनमें जंगली जानवर हाथी, चीते, रीछ बहुतायत से हैं। आत्मरक्षा के लिये भी उन्हें नहीं मार सकते। फल यह होता है कि प्रतिवर्ष कई निर्दोष प्राणी इन जंगली जानवरों के आसानी से शिकार बन जाते हैं। तीसरी आज्ञा भी उतनी ही विचित्र है। जंगलात महकमे का अफसर एक योरोपियन है। उसने यह आज्ञा प्रचारित की है कि जंगलातमहकमे के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत बिना उस की अनुमति लिये किसी थाने में दर्ज नहीं होने चाहिये। देशी राज्यों में जारी होने वाली स्वेच्छाचारितापूर्ण आज्ञाओं के ये नमूने हैं!

कपूरथला का बजट

१९२४-२५ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कपूरथला की आय ३६, २०, ३०६ रुपया और खर्च ३७, ४२, ५३२ रुपया था। इस में से ३, ८७, ८२८ रुपया तो सेना पर ही व्यय हुआ। शिक्षा के लिये केवल ८० ८४) रुपया ही खर्च किया गया। इतने छोटे से राज्य के लिये सेना पर इतना अधिक व्यय होना अनुचित है। चिकित्सा विभाग पर ५६१९३ रु[illegible] तथा पानी के लिये ८६१५ रुपया खर्च होता है। कपूरथला तथा अन्यान्य ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षण क्रम एक कमेटी के सुपुर्द है। राज्य में तीन म्युनिसिपैलिटियां हैं। हरेक ताल्लुके में खेती विषयक एक-दो संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य कृषकों की असुविधाओं को दूर करना है। इस विभाग की मारफ़त एक गोशाला चलती है और किसानों को कृषि के औजार दिये जाते हैं। राज्य की प्रजा सभा के प्रमुख दीवान महाशय ही होते हैं। इस सभा को बजट पर विवेचना करने का अधिकार होने से प्रजा प्रतिनिधि उसके कार्य में अच्छी दिलचस्पी दिखाते हैं।

सम्पादकीय अनुभव

बिहार प्रान्तीय प्रथम सम्पादक सम्मेलन में, जो दरभंगे में गत सप्ताह में हुआ, उसके अध्यक्ष देशभक्त श्री गर्देजी ने समाचारपत्रों की उन्नति के सम्बन्ध में अपना अनुभव इस प्रकार बताया है:—समाचार-पत्र चलाने के लिये व्यवसाय बुद्धि की उतनी ही आवश्यकता होती है, जितनी आत्मा के लिये शरीर की। पत्र सम्पादक के साथ यदि व्यवसायनिपुण प्रबन्ध कर्ता न हो तो सम्पादन की उत्तमता जहां की तहां ही रह जाती है। सुसम्पादित पत्र सुयोग्य प्रबन्ध कर्ता के अभाव में उतना नहीं चल सकता, जितना सुसम्पादक हीन समाचार-पत्र सुयोग्य प्रबन्धकर्ता के सहयोग से चल जाता है।

पत्र का सम्पादन करना सम्पादक का काम है, पर उसे चलाना प्रबन्धकर्ता का काम है। समाचार-पत्रों की उन्नति के लिये इन दोनों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है—यह सहयोग लोकशिक्षा और व्यवसायका सहयोग है—विद्या और धनका सहयोग है।

यह युग समाचार-पत्रों का है, 'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम्' की सारी शक्ति प्राय: समाचार पत्रों के ही हाथ में आ गयी है। देश का भविष्य बहुत कुछ समाचार-पत्रों पर ही निर्भर करता है, समाचार पत्र ही आज लोकशिक्षा के साधन हैं। सदुपयोग से—इनकी संघशक्ति से,देश की काया पलट सकती है—देश का महत्कल्याण हो सकता है। लोकशिक्षा के लिये प्राचीन काल में ऐहिक सुखों को त्यागने वाली एक जाति निर्माण हुई थी और उक्त जाति ने इस देश को विद्या और वैभव के शिखर पर चढ़ाने में सबसे प्रधान भाग लिया था। आज वही लोकशिक्षा का काम जिन सम्पादकों के हाथ में आया है, वे भी इस देश को विद्या और वैभव के शिखर पर चढ़ाने में प्रधान सहायक हो सकते हैं, यदि वे शुद्ध संकल्प और आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ें।

भारत की बीमा कम्पनियां

इण्डियन 'इन्श्योरेंस जर्नल अपने मई मास के अङ्क में लिखता है:—इण्डिया लाइफ अस्यूरेन्स कम्पनी एक्ट सन् १९१२ में पास हुआ था। उसके बाद हिन्दुस्तान में १८ बीमा कम्पनियां शुरू हुईं और अब तक अपना काम कर रही हैं। उन १८ में से १२ कम्पनियों को अभी अपनी पुख्तगी के सबूत देने हैं, अब तक उन १८ में से ६ कम्पनियां कामयाब हुई हैं, और उन ६ में से एक 'दी एशियन अस्यूरेन्स कम्पनी आफ़ बम्बई' भी है।

भारतवर्ष के प्रेस

विदेशों की अपेक्षा भारतवर्ष में प्रेसों की संख्या बहुत कम है। यहां जो प्रेस हैं भी,

हिन्दुओं की अवस्था

डा० मुञ्जे ने कलकत्ता हिन्दू सभा के वार्षिक अधिवेशन में हिन्दुओं की वर्तमान स्थिति पर बोलते हुये कहा कि आज कल हिन्दूओं के एक तरफ़ पहाड़ है तो दूसरी तरफ़ खाई है। एक तरफ़ अंग्रेज़ हैं और दूसरी तरफ़ मुसलमान हैं। हिन्दू अपने प्यारे भारतवर्ष को विदेशी बन्धन से जकड़ा हुआ नहीं देखना चाहते, परन्तु इसके लिये वे करें तो क्या करें। अगर इसके लिये वे मुसलमानों से मिलते हैं तो भी उन का गुज़ारा नहीं। मुसलमानों की मानसिक प्रवृत्ति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि वे किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं। वे हमें कोई भी हमारी धर्म क्रिया नहीं करने देते। हिन्दु अपना राष्ट्र छोड़ें या अपना धर्म? आज कल हिन्दू दोनों के शिकार हो रहे हैं। इस के बाद डा० मुञ्जे ने हिन्दु मुस्लिम एकता के विषय में कहा- स्वराज्य प्राप्ति को उद्देश्य में रख कर हिन्दू मुस्लिम एकता करने के पक्ष में मैं नहीं हो सकता। यह एकता स्वार्थ पर अवलम्बित है। इस का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक जाति अपने २ अधिकार मांगेगी। एकता स्वार्थ से नहीं, परन्तु अच्छे भावों से होनी चाहिये। अन्त में उन्होंने कहा कि वे 'धैर्य' धारण करें और अपनी शारीरिक उन्नति में अधिक ध्यान दें ताकि वे अपने को समय समय पर आने वाली आपत्तियों से बचा सकें।

मुसलमानों की मनोवृत्ति

गत २४ जुलाई को बम्बई में जमायत उल उलमा का अधिवेशन मौ० निसार मोहम्मद के सभापतित्व में हुआ। सभापति चुनने का प्रस्ताव करते हुये एक सज्जन ने कहा कि हिन्दू हमें यहां से खदेड़ कर मक्का मदीना भेज देना चाहते हैं। और कुछ मुसलमानों की सम्मति में सूद लेना हलाल है। इन दो विषयों पर आज विचार होगा। सभापति ने अपने भाषण में कहा कि आज कल भारत में हमारी अवस्था नाजुक है। हिन्दू हमें निकालने पर तुले हुये हैं। हिन्दूसंगठन और शुद्धि के आन्दोलन हमें नष्ट करने के लिये चलाये गये हैं। हिन्दू राज्य के स्वप्न देखने वालों को हम बता देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। मुसलमान "आलमगीर" की तरह हिन्दुओं के खिलाफ़ तलवार से लड़ने को तय्यार हैं। मैंने पं० मदन मोहन मालवीय को कहा था कि वह पांचसौ हिन्दुओं को तय्यार करें ताकि वह मैदान में पांच सौ मुसलमानों से लड़ें और तब देखें कि कौम विजयी होता है। मुसलमानों में इस्लाम की स्पिरिट है और वे अपने हर एक दुश्मन के सामने खड़े होंगे। हमारी पांच वक्त की नमाजें ही हमें हिन्दुओं से बचाने को काफी हैं। एक दूसरे सज्जन ने अपना भाषण करते हुये कहा कि अब समय है जब हमें इस्लाम की हिफाज़त के लिये तय्यार होना चाहिये।

बिहार का हिन्दी साहित्य सम्मेलन

बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सप्तम अधिवेशन श्री राजेन्द्रप्रसाद जी के सभापतित्व में हुआ। स्वागताध्यक्ष और सभापतिजी के भाषण विचार पूर्ण थे। सम्मेलन में उपयोगी प्रस्ताव पास हुए। सरकार से कई कालेजों में हिन्दी शिक्षण का उत्तम प्रबन्ध करने पर ज़ोर दिया गया। एक प्रस्तावमें चरखा संघ से भी सब पत्र व्यवहार हिन्दी में में करने की प्रार्थना की गयी। इस अवसर पर प्रादेशिक कवि सम्मेलन का भी तृतीय अधिवेशन श्री गङ्गानन्द जी एम० एल० ए० के सभापतित्वमें हुआ। सभापतिजी ने विद्यापति वाचनालय का उद्घाटन भी किया। तदन्तर राष्ट्रीय भाषा भाषण सम्मेलन हुआ। इसमें यह नियम था कि चार आने देकर कोई भी सज्जन इस प्रति सहयोगिता में खड़ा हो सकता था और प्रत्येक अशुद्धि के लिये एक पैसा देना पड़ता था; तदनुसार सभी को कुछ न कुछ देना पड़ा। सम्मेलन के प्रारम्भ में एक सम्पादक सम्मेलन की भी योजना की गई थी। इसके सभापति भारतमित्र और श्रीकृष्ण सन्देश आदि के प्रसिद्ध सम्पादक लक्ष्मणनारायणजी गर्दे थे। आपका भाषण अत्यन्त योग्यता पूर्ण था। कई महत्व पूर्ण प्रस्ताव भी पास हुये।

कांग्रेस और हिन्दू

अभी हाल में ही रावलपिण्डी में जो हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था, उस की जांच के लिये पंजाब कांग्रेस कमिटी ने एक कमिटी बिठाई थी। कमिटी में एक हिन्दू, एक सिख, और एक मुसलमान सज्जन सदस्य थे। कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। कमिटी ने मुसलमानों का दोष बहुत अधिक नहीं बताया। पञ्जाबके प्रताप, मिलाप, बन्देमातरम् और लालाजीके पीपल आदि सभी पत्रोंने इस रिपोर्टका पूरा विरोध किया है। उदाहरण के लिये बन्देमातरम् के ये एक दो वाक्य पर्याप्त होंगे- 'रिपोर्ट' एकतरफ़ा, बिगाड़ी हुई, मुस्लिम पक्षापातिनी, और इधर उधर से सुनी हुई गवाहियों के आधार पर जो केवल ३६ घंटे ठहर कर ली गई थी, अवलम्बित है। रिपोर्ट' प्रकाशित करने में जो खर्च किया गया है, वह रिपोर्ट' प्रकाशित न कर यदि पीड़ितों की सहायता में खर्च किया जाता तो अच्छा होता। और तो और रावल पिण्डी की कांग्रेस कमेटी ने भी इस रिपोर्ट' को असत्य बताया है।

कलकत्ते में मि० जे एम सेन गुप्त जिस तरह मुसलमानों को खुश करने में लगे हुये हैं, किसी से छिपा नहीं है। कलकत्ता कारपोरेशन से जिन १६ सदस्यों ने इस्तीफ़ा दिया था, उनमें से १२ सदस्यों ने कोरपोरेशन के मेयर श्री सेन गुप्ता के यह वचन देने पर कि उन्हें सुहरावर्दी पर लगाये गये दोष जांच से पहले बता दिये जायंगे, इस्तीफ़ा वापिस ले लेना स्वीकार कर लिया है। इसी तरह श्रीमती सरोजनीनायडू भी स्थान २ पर हिन्दुओं को ही दङ्गों के लिये कोस रही हैं। क्या मुसलमानों को इस तरह कांग्रेस में मिलाने का असफल प्रयत्न और हिन्दुओं को रुष्ट करने से कांग्रेस स्थिर और प्रबल हो जायगी?

राजस्थान चरखा संघ अजमेर

गश्ती चिट्ठी

राजस्थान वासियों को अब यह बात तो मालूम हो ही गई है कि राजपूताना और मध्यभारत में खादी की उन्नति और प्रचार के लिए अ० भा० चरखा संघ के अधीन राजस्थान चरखा संघ, की स्थापना हो गई है और संघ ने अपना काम भी शुरू कर दिया है जिसका कि अन्दाज़ पाठक 'यंगइण्डिया' में प्रकाशित होने वाले उत्पत्ति और बिक्री के अङ्कों से कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ जगह पर से खादी के कारखाने भी हैं, जहां खादी प्रेमी लोग अपने तौर पर खादी तैयार कराते और बेचते हैं। यह जानने के लिये कि राजस्थान में कुल कितनी खादी हर मास पैदा होती और बिकती है हम उन तमाम खादी-कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे अपने मार्फत बनने और बिकने वाली खादी के आंकड़े हर महीने के प्रथम सप्ताह में हमारे पास भेजने की कृपा करें जिससे राजस्थान में बनी और बिकी खादी का पूरा ब्यौरा यं० इं० में प्रकाशित किया जा सके। मन्त्री

उनमें ऐंग्लो इण्डियनों तथा दस पांच और बड़े प्रेसों को छोड़ कर शेष की दशा अच्छी नहीं है। भारत वर्ष के कुल प्रेसों की संख्या ४६०६ है। उनमें से १२१३ मद्रास में, ६६७ बंगाल में, ७७५ बम्बई में, ७०३ यू० पी० में, ४३३ पञ्जाब में, ३०० बर्मा में, १४८ बिहार और उड़ीसा में, १४० सी० पी० और बरार में, १०६ दिल्ली में, ४६ आसाम में २३ अजमेर मेरवाड़ा में, १६ पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में, २ और कुर्ग में हैं।

तरुण राजस्थान

यश, वैभव, सुख की चाह नहीं,
परवाह नहीं, जीवन न रहे।
यदि इच्छा है, यह है जग में,
यह स्वेच्छाचार दमन न रहे।

सोमवार, श्रावण शुक्ला १ सम्वत १९८३

चौधरीजी के मुकद्दमे का फैसला

(२)

मुक़द्दमे का पूर्व इतिहास गताङ्क में दिया जा चुका है। हम उस पर मजिस्ट्रेट साहब के फैसले की विस्तृत आलोचना करना चाहते थे; पर जैसा कि अन्य प्रकाशित सम्वाद से मालूम होगा, उसके विरुद्ध चौधरीजी की अपील के फैसले में सेशन जज ने उनकी सजा घटा कर पांच मास से तीन मास और सख्त के बजाय सादी क़ैद की करदी है। सेशन जज साहब का फैसला अभी हमारे सामने नहीं है, अतः निश्चित रूपसे नहीं कह सकते कि उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के फैसले पर क्या मत व्यक्त किया है, फिर भी उनका सज़ा का घटा देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मजिस्ट्रेट साहब के निर्णय से वे सहमत नहीं हैं और इसलिये उनके फैसले की निस्सारता अपने आप सिद्ध हो जाती है। ऐसी दशा में अब उसकी विशेष आलोचना की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी उसकी मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करना अनावश्यक न होगा। मुक़द्दमा ताज़ीरात जयपुर की १७७ दफ़ा के अनुसार चलाया गया था, जो ताज़ीरात हिन्द की १८८ के समकक्ष है। मजिस्ट्रेट साहब के कथनानुसार ताज़ीरात जयपुर और ताज़ीरात हिन्द में, कुछ अपवादों के सिवा, कोई अन्तर नहीं; उन्होंने अपने फैसले में उन्हीं का सहारा लिया है, अतः हमारा भी उन्हीं के आधार पर चलना असङ्गत न होगा। अस्तु।

ताज़ीरात हिन्द में १८८ दफ़ा के अनुसार अपराध सिद्ध करने के लिये निम्न लिखित बातों का सिद्ध किया जाना आवश्यक है:—

(१) किसी राज्याधिकारी द्वारा, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी आज्ञा का जारी किया जाना।

(२) उक्त अधिकारी को ऐसी आज्ञा प्रचारित करने का क़ानून से अधिकार दिया जाना।

(३) उक्त व्यक्ति को उस आज्ञा का और इसके द्वारा किसी कार्य की मनाई किये जाने का पता होने पर भी उसका भङ्ग करना।

(४) आज्ञा भंग के परिणाम में (अ) किसी अधिकारी के कार्य में कुछ रुकावट, या उसे कुछ कष्ट, चोट या खतरा हुआ या होने की सम्भावना थी, या (ब) सर्व साधारण की शान्ति, स्वास्थ एवं प्राणों को कुछ खतरा था या खतरा होने की सम्भावना थी अथवा (स) कोई बलवा या फसाद हुआ या होने की सम्भावना थी।

इनमें पहिली बात के सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि चौधरीजी के विरुद्ध आज्ञा जारी हुई थी, यह स्पष्ट है। दूसरी के सम्बन्ध में चौधरीजी ने आपत्ति की थी कि महकमा खास को, जिसने कि उक्त आज्ञा जारी की थी, ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी दशा में इस्तग़ासे का कर्तव्य था कि वह इस बात को सिद्ध करता। पर उसने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने भी इसका बार इस्तग़ासे पर न रख कर स्वयं अभियुक्त पर रक्खा है। 'बम्बई ला रिपोर्टर' के सम्पादकद्वय श्री रतनलाल रणछोड़ दास बी० ए० एल० बी० तथा धीरजलाल केशवलाल ठाकुर बैरिस्टर एटलाकृत टीकायुक्त ताज़ीरात हिन्द हमारे सामने है। उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि आज्ञा जारी करने वाले को ऐसी आज्ञा जारी करने का क़ानूनन अधिकार दिया गया है यह बात आरोपी को सिद्ध करना आवश्यक है। पुस्तक की नवीं आवृत्ति के पृष्ठ ३८७ में 'प्रेक्टिस' शीर्षक में गवाहियों द्वारा सिद्ध की जाने वाली बातों में लिखा है:—

Prove that the order was promulgated by a public servant, and that 'such public servant was lawfully empowered to promulgate the same.' ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट साहब का इस्तगासे के बजाय अभियुक्त पर यह बार डालना विचित्रता नहीं तो और क्या है? आगे चल कर मजिस्ट्रेट साहब ने 'अलिखित क़ानून' Unwritten Law का सहारा लेकर हुक्मे-खास को इसका अधिकारी सिद्ध कर खुद ने इस्तग़ासे की इस कमी को पूरा किया है। न्यायासन पर बैठ कर अभियुक्त के विरुद्ध इस्तग़ासे का पक्ष ग्रहण करना नीति विरुद्ध हो या न हो, ऐसे अवसर पर अलिखित क़ानून का सहारा लेना अवश्य ही पक्षपात से खाली नहीं कहा जा सकता। इस के लिये मजिस्ट्रेट साहब ने १८१८ के तीसरे रेग्युलेशन का भी सहारा लेने की हास्यास्पद चेष्टा की है। मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्की तो गहरी लगायी थी, पर विचारों को यह मालूम न था कि इस पानी की गहराई का दूसरों को भी पता है। प्रथम तो बङ्गाल प्रान्तीय तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली दोनों में ही सदस्यों ने उक्त रेग्युलेशन की अमानुषिकता भली भांति सिद्ध कर दी है, फिर मजिस्ट्रेट साहब द्वारा उल्लिखित कलकत्ता हाईकोर्ट की रूलिंग के अनुसार रेग्युलेशन की विधिसंगतता मान भी ली जाय, तो उसके अनुसार भी यह स्पष्ट है कि असाधारण अवसर उपस्थित होने पर ही उसका उपयोग किया जा सकता है। क्या मजिस्ट्रेट साहब कह सकते हैं कि सीकर या शेखावाटी में बङ्गाल की तरह क्रान्तिकारी गुप्त समितियां बन गयी थीं और ऐसे दल स्थापित होगये थे जो किसी मुक़द्दमे में सरकार के पक्ष में गवाही देने वाले की जान ले लेने के लिये उतारू हों। बङ्गाल में सरकार ने यही कह कर उक्त रेग्युलेशन का उपयोग किया था। क्या जयपुर के अधिकारी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि यहां भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी? यदि नहीं तो फिर यहां इस रेग्युलेशन को ला घसीटने से मजिस्ट्रेट साहब का क्या मतलब है? अस्तु। इस बात को भी जाने दीजिये, हम यह मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के कथनानुसर महकमा खास को ऐसा हुक्म जारी करने का अधिकार था, पर वह हुक्म जायज़ (Valid) था या नहीं, कम से कम इस्तग़ासे से इस बात का तो सबूत मांगा जाता, क्योंकि इसी ताज़ीरात हिन्द के ३८४ पृष्ठ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि Disobedience to an invalid order is not punishable अर्थात् किसी अनुचित आज्ञा का भङ्ग करना दण्डनीय नहीं है। इस आज्ञा के सम्बन्ध में चौधरीजी ने कौंसिल के प्रेसिडेण्ट को तो इसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिये दो बार चेलेञ्ज दिया ही था, साथ ही मुकद्दमा चलने पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपने मौखिक बयान और लिखित जिरह में भी स्पष्ट ही कहा था कि जिन सूचनाओं के आधार पर उक्त आज्ञा निकली है, वे सर्वथा निराधार हैं। ऐसी दशा में इस्तगासे का कर्तव्य था कि वह सीकर व शेखावटी के, जहां पर कि असन्तोष फैलाने की आशङ्का पर उक्त आज्ञा जारी की गई थी, कुछ गवाह पेश कर इस बात की पुष्टि करता। पर उसने इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लेखनीय गवाही पेश नहीं की। मजिस्ट्रेट साहब ने इस विषय पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस महकमा खास को अपने कथनानुसार आज्ञा जारी करने का अधिकारी सिद्ध

कर उसकी जारी की हुई आज्ञा को भी जायज़ मान लिया। पर वे शायद जानते बूझते भी इस बात को भूल से गये हैं कि किसी को किसी आज्ञा के जारी सिद्ध कर देने से ही काम नहीं चलता, उसकी जारी की हुई आज्ञा जायज़ थी या नहीं यह सिद्ध करना भी उतना ही आवश्यक है। क़ानून के विधात्मक (Affirmative) होने से अभियुक्त को उक्त आज्ञा की असंगतता (Invalidity) सिद्ध करने की आवश्यकता न थी, वरन् उसके सङ्गत (Valid) होने के प्रमाण का अभाव ही उसकी असङ्गतता (Invalidity) का सबूत है। ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट साहब को इस बिना पर ही चौधरी जी को मुक्त कर देना चाहिये था, पर जबफ़ैसले की नक़ल देने में उन्हें रेनाल्ड साहब की नाराज़ी का ख़याल था; तब छोड़ देना तो बहुत बड़े साहस का काम था। अस्तु।

लेख बहुत बढ़ता जा रहा है, अतः हम अन्य साधारण बातों को छोड़ कर अन्तिम महत्व पूर्ण बात पर आते हैं और वह है आज्ञा भङ्ग के कारण किसी अधिकारी के कार्य में रुकावट, कष्ट या चोट अथवा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग या दङ्गे फसाद आदि की सम्भावना की। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है पुलिस ने अपने कुल पांच गवाह पेश किये थे, इनमें दो गवाहों ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इनकी जानकारी में उक्त बातों में से किसी की भी आशङ्का नहीं थी। तीसरे गवाह वही-दुहीन सब इन्स्पेक्टर ने इस विषय में अपनी सर्वथा नावाकफ़ियत ज़ाहिर की। चौथे गवाह श्री पद बनर्जी ने अवश्य ही यह कहा था कि सरकारी और उसके बाद प्राइवेट ज़रियों से भी उसे यह बात मालूम हुई थी कि रामनारायण एजीटेटर हैं और उनके आने से रियासत में बद अमनी फैल सकती है। पर इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि चौधरीजी के विरुद्ध उक्त आज्ञा फरवरी में निकली थी और यह महाशय नौकर हुये थे दिसम्बर में अर्थात आज्ञा निकलने के लगभग दस महीने बाद। ऐसी दशा में उसे इस सम्बन्ध में कोई निजी ज्ञान (First hand information) तो था नहीं; उसे जो कुछ मालूम हुआ नौकर होने के बाद, सुनते सुनाते से और क़ानून में केवल सुनी सुनाई बात का इतना प्रमाण नहीं, और जब उस सुनी सुनाई की भी किसी दूसरी गवाही से पुष्टि न हो तब तो वह और भी निराधार ठहरती है। जब जिरह में इससे पूछा गया कि तुम्हें जो सूचनाएं मिलीं उनको तुमने अपनी आफ़ीशियल डायरी में नोट किया या अपने बड़े अफ़सरों को इत्तला दी, तो उसने इन दोनों बातों से इनकार किया। ऐसी दशा में उसकी उक्त बातों को विश्वसनीय मानने का क्या आधार था? विशेष कर उस दशा में जब कि चौधरीजी ने एक सवाल में मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका झूठ बोलना सिद्ध कर दिया था। और यदि थोड़ी देर के लिये उसकी बातों पर विश्वास किया भी जाय तो अन्त में चौधरीजी के सवाल के जवाब में अन्य दो गवाहों की तरह उसने भी स्पष्ट स्वीकार किया था कि उनके इस आज्ञा-भङ्ग से उसकी जानकारी में किसी के कार्य में रुकावट, नाखुशी या सार्वजनिक अशान्ति आदि की कोई आशङ्का न थी। अब केवल एक गवाह प्यारेलाल हेडकानिस्टबिल शेष रहा। इस की मुख्य गवाही तो यह थी कि उसने ७ मार्च की महकमे खास की चौधरीजी के प्रवेश निषेध की आज्ञा की उन पर तामील की थी। पर उसके साथ ही सरकारी पैरोकार अखबारों की कतरन (cuttings) की एक फ़ाइल भी इस के हाथों पेश करवाई और उस में से २१ दिसम्बर सन् १९२४ तथा ५ अप्रैल सन् २५ के तरुण राजस्थान के लेखों को अशान्ति जनक कहलवाया। 'कहलवाया' शब्द हमने जान बूझ कर रक्खा है, क्योंकि जिरह में उसने स्पष्ट स्वीकार किया कि वह हिन्दी नहीं जानता और उसने इन लेखों को न तो पढ़ा है, न इस में की उसे कुछ बातें ही याद हैं। इससे स्पष्ट है कि उसने जो कुछ कहा अपने ज्ञान से नहीं बल्कि दूसरे के सिखाने से कहा। Face is the mirror of heart के अनुसार यदि किसी के चहरे के उतार चढ़ाव से किसी के हृदगत भावों का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है तो यह बात साहस पूर्वक कही जा सकती है कि इस गवाह से जो बातें पूछी जा रहीं थीं, उसके पास या तो उनका कोई उत्तर न था, अथवा यदि था तो किसी विशेष कारण से उसे स्पष्ट कह नहीं सकता था। उसकी इस बेकसी पर स्वयं सरकारी पैरोकार साहब एक दो बार झल्ला उठे थे और मजिस्ट्रेट साहब ने भी एकाध बार साफ़ २ कहने की चेतावनी दी थी। ब्रिटिश भारत में ऐसे अस्थिर एवं कमज़ोर गवाह की गवाही पर कुछ महत्व नहीं दिया जाता, और वही यहां भी होना चाहिये था। और यदि कुछ महत्व दिया ही जाय तो उसने जो चौधरीजी के वकील के सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया था कि 'चौधरीजी ने सीकर के किसानों से कहा था कि ठिकाने वाले तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो तुम उनकी बात न मान कर बड़े राज्य जयपुर में अर्ज करो' उसकी यह बात भी प्रामाणिक मानी जानी चाहिये। ऐसी दशा में इस्त अपने किसी भी गवाह के बयान से किसी के किसी कार्य में रुकावट, नाखुशी, या सार्वजनिक अशान्ति आदि की बात सिद्ध न कर सका। इसलिये चौधरीजी पर कोई जुर्म आयद ही नहीं हो सकता था।

—*—

सम्पादकीय टिप्पणियां

इन्दौर की मिल-हड़ताल

इन्दौर की मिल-हड़ताल के सम्बन्ध में अभी तक जो समाचार मिले हैं, वे अत्यन्त चिन्ता जनक हैं। लगभग १२००० मनुष्य बेकार बैठे हैं, पर मिल मालिक उनके प्रति ज़रा भी सहानुभूति दिखाने के लिये तैयार नहीं। हड़ताली मज़दूर प्रत्यक्ष में शान्त हैं, पर हृदय में अशान्ति की अग्नि धधक रही है और भय है कि यदि अधिकारी शीघ्र ही न चेते तो कहीं वह भीषण रूप से भभक न उठे। इस आशङ्का की पुष्टि सूचक एक चिनगारी का एक समाचार अभी अभी मिला है। सुना है अपनी ग़रीबी से तङ्ग आकर मेवाती पुरा के एक मज़दूर ने गत ३ ता० को काम पर जाने की इच्छा प्रकट की। दूसरे मज़दूरों ने उसमें बाधा डाली। बात बढ़ गई और बिचारा मज़दूर बुरी तरह पिट गया, यहां तक कि अस्पताल में पहुंचाने की नौबत आयी और वहीं गत ५ ता०को उसके प्राण पखेरु उड़ गये। बिचारे के बाल बच्चे रो रहे हैं। यह बात मिल मालकों और अधिकारियों के लिये अत्यन्त लज्जा की बात है। समय घटाने और बोनस मिलने की मजदूरों की मांग सर्वथा उचित है और यदि मिल मालिक तथा राज्य कर्मचारी सर्वथा अदूरदर्शी एवं हृदय हीन नहीं हैं तो उन्हें शीघ्र ही इन प्रश्नों को उचित रूप से हल करना चाहिये। महात्मा गांधी का तार पाकर पं० हरिभाऊजी उपाध्याय हड़तालियों की स्थिति का अध्ययन करने इन्दौर गये हैं। आशा है अधिकारी उनके उचित परामर्श पर ध्यान देकर दूरदर्शिता का परिचय देंगे।

धार की उत्तराधिकार समस्या

गत २९ ता० को धार नरेश के देहावसान के समाचार गताङ्क में प्रकाशित हो चुके हैं। स्वर्गीय नरेश के कोई सन्तान नहीं है, इसलिये उनके उत्तराधिकार समस्या की ओर लोग बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। हमारे पास इस बात के विश्वास के लिये प्रबल कारण हैं कि महाराजा के भाई श्रीमान

(शेष दूसरे पेज में)

विविध-विषय

प्रगतिशील कोचीन

मद्रास स्टेट एजेंसी में कोचीन एक छोटी सी रियासत है। इसकी जन संख्या दस लाख और वार्षिक आय ६२ लाख रुपया है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्नति की दौड़ में भारत की बड़ी २ रियासतों से वह बाजी मार ले जायगी। थोड़े दिन पूर्व कोचीन व्यवस्था-पक सभा के कई सदस्यों ने दीवान को एक मेमोरियल भेजा था जिसमें रियासत की सरकार के अधिक उन्नत विधान का मस्विदा तैयार किया गया था। यदि उक्त मेमोरियल स्वीकार हो गया तो उसके अनुसार कोचीन एक आदर्श रियासत हो जायगी। शिक्षण प्रगति में भी वह किसी से पीछे नहीं। १४०० वर्ग मील क्षेत्र फल के विस्तार में आज वहां २ महा विद्यालय, ३५ विनीत विद्यालय, ७८ माध्यमिक शारदा भवन, ३६६ राज्य द्वारा स्थापित अथवा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, २८६ स्वतन्त्र प्राथमिक शिक्षण मन्दिर, २० व्योग शालायें, १३ रात्रि पाठशालायें और चार विशिष्ट शालायें हैं। इस प्रकार कुल शिक्षण संस्थाओं की संख्या ८१० हुई। इनमें राज्य के १,०८१५८ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जन संख्या के हिसाब से राज्य का एक दशांश इनमें पढ़ रहा है और भूमि विस्तार की दृष्टि से प्रति ॥॥ मील पीछे दो शालाएं हैं। शिक्षण प्रगति में त्रावणकोर से दूसरे नम्बर पर कोचीन का स्थान है। इस स्थिति से राजस्थानी रियासतों की तुलना की जाय तो जमीन आसमान का अन्तर दिखाई देगा। क्या हमारे राजस्थानी नरेश कोचीन के शिक्षा प्रेम का अनुकरण करेंगे?

काश्मीर नरेश की उदारता

अभी हाल ही में काश्मीर नरेश ने एक फरमान जारी किया है जिस में उन्होंने कहा है कि 'मेरे नजदीक हिन्दू, मुस्लिम अथवा अन्यत्र सभी प्रजा समान है। मेरे राज्य के विद्यालयों में विद्या ग्रहण करने का सब लोगों को समान अधिकार है। आज से काश्मीर राज्य के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये मेरा तमाम बालकों को निमन्त्रण है। अछूत बालक भी हिन्दू बालकों के साथ एक पंक्ति में बैठ सकेंगे।' काश्मीर नरेश का यह कार्य स्तुत्य है।

अफगान राजकुमार के उद्गार

अफ़गानिस्तान के उत्तराधिकारी राजकुमार हिदायतुल्लाखां पचास अफ़गान विद्यार्थियों सहित ५ वर्ष से शिक्षा ग्रहण करने के लिये पेरिस में रह रहे हैं। गत ३ अगस्त को वे अपने दस साथियों सहित दो महीने की छुट्टी पर काबुल वापिस जाते हुये दिल्ली स्टेशन पर हो कर गुजरे थे। स्टेशन पर डाक्टर अंसारी आदि लोगों ने उनका स्वागत किया। वे हिन्दुस्थानी या अङ्गरेजी भाषा नहीं जानते थे, अतः उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा निम्न सन्देश दिया:—

"आप लोगों ने मेरा और मेरे दल का जो हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं और मेरे देश वासी हमेशा भारत के भले के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भारतीय भाई अफ़गानिस्तान के प्रति जो मैत्री सम्बन्ध रखते हैं, उस के लिये वे उनके कृतज्ञ हैं। भारत आज जिस पवित्र उद्देश्य के लिये प्रयत्नशील है, उसकी सफलता के लिये पड़ौसियों और स्वतन्त्र व्यक्तियों की हैसियत से हम प्रार्थना करते हैं और उसे शीघ्र ही स्वशासित देशों की श्रेणी में देखने की आशा करते हैं।"

भारत से पशुओं की निर्यात

भारत ऐसे कृषि प्रधान देश से हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष पशु विदेश भेजे जाते हैं। यदि इनकी संख्या पर समुचित ध्यान दिया जाय तो एक बारगी ही भारत के रक्त शोषण का दृश्य सामने आ उपस्थित होता है। १९१२ के पहले सरकार के रजिस्ट्रों में विदेश भेजी जाने वाली भवेशी और भेड़ बकरों की संख्या अलग २ नहीं लिखी जाती थी। १९१२ से जितनी भवेशी विदेशों को भेजी गयीं उसके अङ्क इस प्रकार हैं:—

वर्ष	संख्या	मूल्य
१९१२-१३	३०, १८८	१५, ७१, १६०)
१९१३-१४	२९, ९०६	१८, ५८, ५००)
१९१४-१५	१७, ७०८	९, ४५, ०५०)
१९१५-१६	१४, २४५	६, ५०, ८३५)
१९१६-१७	१४, ६८१	८, ५१, ४००)
१९१७-१८	९, १७७	७, ९२, २०५)
१९१८-१९	९, ९५१	९, ३१, ४४५)
१९१९-२०	१६, ६८५	१९, १९, ९१०)
१९२०-२१	१९, ०६५	२०, ४४, ६८०)
१९२१-२२	२१, १७९	१६, ७६, ३८२)
१९२२-२३	१३. ६७५	८, २८, ९१२)
१९२३-२४	१२, ५१७	८, ७८, ८०९)

सरकारी अधिकारीगण व्यापार का निरंकुश रखने के पक्षपाती हैं। इस लिये वे भवेशियों के निकास को बन्द करने की या कम करने की सूचना को केवल हंसीमें उड़ादेते हैं।

प्रकृति की आश्चर्यकारक विचित्रता

बङ्गाल के नोआखाली ज़िले के करतखिल गांव से इस आशय का विश्वस्त समाचार प्रकाशित हुआ है कि वहां १६ जुलाई को एक १८ वर्ष की हिन्दू युवति के ठीक चीते के बच्चे सरीखा जानवर उत्पन्न हुआ जो डेढ़ फ़ीट लम्बा था। उसके चार टांगें, दुम, कन्धे पर अस्पष्ट निशान और बड़ी बड़ी आंखें थीं। पैदा होने के समय वह जिन्दा था, किन्तु दायी ने डर के मारे प्रसुतिका गृह से उसे फैंक दिया। फल स्वरूप वह मर गया और उसका एक कान कुत्ता या बिल्ली खा गई। शाहपुर के एक डाक्टर ने उसको शराब में डाल कर रख लिया है और लोगों के समूह के समूह उसे देखने जा रहे हैं। जब से युवति को यह मालूम हुआ है कि उसने ऐसा विचित्र जीव उत्पन्न किया है, तब से उसकी अवस्था नाजुक हो गई है।

रोटी बनाने की मशीन

फ्रांस के दो इञ्जिनियरों ने नाज का आटा पीसे बिना ही रोटी बनाने की मशीन का आविष्कार किया है। इसका मूल्य भी बहुत कम है और हरेक आदमी इसे खरीद सकता है। इस मशीन द्वारा नाज का छिलका उतारना, उसे धोना और पीस कर गोला सा बना देना, यह सब काम आप ही आप हो जाते हैं। इसके पश्चात केवल हाथ से उस गोले को थोड़ासा खींच कर रोटी बनाने का काम रह जाता है। इस प्रकार यह मशीन आदमी की बहुत सी महनत और समय बचा देती है।

कुछ जानने योग्य बातें

लगभग २५० वर्ष में पृथ्वी की आबादी दुगनी हो जाती है।

सूर्य का गोलाकार वृत एक शताब्दी में पांच मील घट जाता है। उसका वर्तमान फासला ८ लाख ६० हज़ार मील है।

आवश्यकता है

अजमेर और आस पास के स्थानों के लिये प्रथम श्रेणी के ब्रिटिश लाइफ़ आफिस के लिये अनुभवी और उत्साही एजण्टों की। प्रातः ७ और ९ बजे के बीच या दुपहर को १ और ५ बजे के बीच खुद मिलिये।

डी० एस० मुरती,
ठि० पंडित बिहारी लाल की कोठी
श्रीनगर रोड, अजमेर।

राष्ट्रीय हलचल

हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये नया प्रयत्न

पं० मोतीलाल नेहरू और मौ० अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक संयुक्त वक्तव्य निकाल कर भारतीय राष्ट्रीय संघ स्थापित करने की आवश्यकता बताई है। यह वक्तव्य दो महीने पूर्व तैयार हो चुका था, और प्रसिद्ध २ हिन्दू मुसलमान नेताओं के पास भेजा गया था। परन्तु यह प्रकाशित अब हुआ है। इसका सारांश यह है—इस बढ़ते हुए जातिगत कलह को अगर न रोका गया तो यह बहुत ही भयङ्कर रूप धारण कर लेगा। इसको रोकने के लिये लोगों में राष्ट्रीय विवेक और राष्ट्रीय वातावरण स्थापित करना आवश्यक है। इस आंदोलन को जारी करने के लिये हम एक ऐसा संघ स्थापित करना चाहते हैं जिस में वे सब भारतीय सम्मिलित हों जो साम्प्रदायिकता के द्वेषी हों और राष्ट्रीयता का प्रचार करना अपना धर्म समझते हों। सभी इस बात को मानेंगे कि हिन्दू मुसलमानों की अत्यधिक संख्या अगर मित्रता से नहीं तो शांति से तो अवश्य रहना चाहती है। किसान, कारीगर, व्यापारी और धनी अवश्य ही शांति के लिये किये जाने वाले आन्दोलन का स्वागत करेंगे। ऐसे दशा में हमें एक संघ द्वारा इस आंदोलन का कार्य शुरू कर देना चाहिये। इस संघ के लिये निम्न लिखित सिद्धान्तों को आदर्श बनाया जा सकता है:—धार्मिक विचारों और कार्यों की पूरी स्वाधीनता, २—दूसरे के धार्मिक विचारों और कार्यों के प्रति सहिष्णुता और ३—व्यक्तियों और जातियों के शुद्ध क़ानूनी अधिकारों के अनुसार जातिगत सम्बन्ध की व्यवस्था करना।

हमारा प्रस्ताव है कि इस नवीन संगठन का नाम 'इण्डियन नेशनल यूनियन' रक्खा जाय। इसका वर्तमान रूप से जातीय कलह को दूर करना उद्देश्य है। सभी भारतीय—चाहे वे किसी जाति के क्यों न हों—जो उपर्युक्त सिद्धान्त मानते हैं और जो किसी जातिगत संगठन के कार्यकर्त्ता न हों, इस संघ के सदस्य हो सकेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि इस की ओर बाक़ी लोग भी शनै २ आकृष्ट होते जावेंगे। यह आवश्यक है कि इस आंदोलन को शुद्ध राष्ट्रीय रखा जावे, इसमें राजनीतिक दलों का कोई विचार न हो। अबतक हिन्दू मुस्लिम समितियों की पूर्ण परीक्षा नहीं हुई। और इसके लिये दिल्ली के एकता सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्तावों में स्वीकृत सिद्धान्तों को आधार बनाना उचित होगा। श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, हकीम अजमलखां श्रीमती नायडू, सर पी० सी० राय, डाक्टर अंसारी, सेन गुप्त, श्री निवास आयङ्गर, डा० एस० एस० महमूद, और ला० दुनीचन्द आदि सज्जनों ने इस के उद्देश्यों और सिद्धान्तों से सहमत हो कर उक्त संघ ने सम्मिलित होना स्वीकार किया है।

इस में जो भी सहयोग देना चाहें, सम्मति देना चाहें वे मन्त्री भारतीय राष्ट्रीय संघ, आनन्द भवन प्रयाग के नाम से पत्र व्यवहार कर सकते हैं।

निजाम और भारत सरकार

इन्दौर नरेश को पदच्युत हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ कि निज़ाम हैदराबाद के कार्यों की जांच के लिये एक कमीशन बैठाये जाने की गरम खबर उड़ रही है। अफ़वाह है कि भारत सरकार ने निज़ाम सरकार पर कुछ अभियोग लगाये हैं और उनका जवाब मांगा है। अभियोगों में से कुछ यह हैं—घूस लेना, पदों को बेचना, न्याय न करना, अपने कुटुम्बियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना और राज्य की तरफ से मुसलमानों को प्रचार के लिये लाखों रुपये भेजना। भारत सरकार ने इसके साथ निज़ाम को लिखा है कि अगर उसने निम्न लिखित बातों की ओर ध्यान न दिया तो भारत सरकार को कमीशन बिठाना पड़ेगा —

१—निज़ाम सब नज़रें और दूसरी भेटें लेना छोड़ दे।

२—उन ज़मींदारों को उचित दण्ड दे जो शासन में अव्यवस्था फैला रहे हैं।

३—कौंसिल अध्यक्ष, अर्थसचिव, रेवेन्यू मेम्बर, और पोलिस-अध्यक्ष के पदों पर अङ्गरेज अफ़सर नियुक्त किये जावें।

४—छोटे जागीरदारों के प्रति न्याय किया जाय।

५—रियासत के प्रबन्ध के लिये एक कौंसिल स्थापित की जाय।

इन शर्तों की स्वीकृति भारत सरकार को २० अगस्त तक मिलजानी चाहिये। अगर भारत सरकार उत्तरको सन्तोष जनक न समझेगी तो वह एक विशेष कमीशन रियासत के आन्तरिक मामलों की जांच के लिये बैठावेगी।

यह कहना कठिन है कि इस अफ़वाह में कितने प्रति शत सत्य है। मि० वाट न रेजीडेण्ट निज़ाम साहब से मिल कर शिमले गये थे और वहीं पर्याप्त काल तक भारत सरकार से सलाह करते रहे। इस असें में भारत सरकार और निज़ाम में बात चीत होती रही उसी समय भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही निश्चय किया था। इन खबरों से आज कल हैदराबाद में बड़ी सनसनी फैली हुई है।

करेंसी कमीशन की रिपोर्ट

पिछले साल अक्टूबर में उक्त कमीशन बिठाया गया था, जिस में ६ यूरोपियन और चार हिन्दुस्थानी थे। दस महीने के बाद गत ४ अगस्त को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करदी। रिपोर्ट में नीचे लिखे विषयों की आलोचना है—(क) भारत में स्वर्णाधार मुद्रा, (सोने के हिसाब से सिक्के का दाम ठहराना) (ख) एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना, उसके नियम और जिम्मेदारी और (ग) रुपये और सोने का अनुपात। रिपोर्ट में कमीशन के सब सदस्य सहमत हैं। केवल सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने अपनी अलग मत रिपोर्ट लिखी है। बहुमत की रिपोर्ट का सारांश यह है कि भारत में गरीब बहुत है और सञ्चय करने की प्रवृत्ति भी अधिक है। ऐसी अवस्था में स्वर्णमुद्रा का प्रचार उचित न होगा, इस लिये स्वर्णाधार मुद्रा पद्धति रखी जाय अर्थात सोने के हिसाब से सिक्के का मूल्य स्थिर किया जाय। दूसरी सिफारिश कमीशन ने यह की है कि बम्बई में एक नवीन केन्द्रीय बैंक खोला जाय। इसको विनिमय के अधिकार होंगे। यह सोना और चांदी अबाधित रूप से बेच और खरीद सकेगा। यही करेन्सी और सारब का नियन्त्रण करेगा। इस बैंक का कार्य और बैंकों की तरह नहीं होगा इसलिये इसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। इम्पीरियल बैंक यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अन्य बहुत काम हैं। इसके लिये प्रारम्भ में कम से कम ५ करोड़ रुपये की पूंजी चाहिये। यह पांच साल तक पूर्ण कार्य करना आरम्भ कर दे। इसकी कार्य प्रणाली और प्रबन्ध पर भारतीय सरकार विचार करे। गोल्ड एक्सचेञ्ज स्टैण्डर्ड रिज़र्व और पेपर करेन्सी रिज़र्व एक कर दिये जावें। स्वभावतः विनिमय की दर १८ पेन्स १) रुपया हो गई है और यही दर उपयुक्त है। १) रुपये के नोट भी आविष्कृत किये जावें। सर पुरुषोत्तमदास का कथन है कि नया बैंक खोलने की आवश्यकता नहीं, इम्पीरियल बैंक ही यह काम करेगा। रुपये की दर १६ पेंस होनी चाहिये, नहीं तो भारतीय व्यापार को बहुत धक्का पहुंचेगा।

भारतीय सरकार ने भी इस पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर कहा है कि भारत सरकार

(शेष दूसरे पृष्ठ में)

तरुण राजस्थान

यश, वैभव, सुख की चाह नहीं,
परवाह नहीं, जीवन न रहे।
यदि इच्छा है, यह है जग में,
यह स्वेच्छाचार दमन न रहे।

सोमवार, श्रावण शुक्ला ८ सम्वत १९८३

चौधरीजी के मुकद्दमे का फैसला

(३)

गताङ्क में हम बता चुके हैं कि इस्तगासा या सरकारी पैरोकार किसी भी गवाही से यह सिद्ध नहीं कर सका कि चौधरीजीके आज्ञाभङ्ग करने से किसी सरकारी नौकर के कार्यमें बाधा या कष्ट अथवा किसी व्यक्ति के प्राण, आरोग्य अथवा रक्षा के लिये खतरा था या होने की सम्भावना थी, इसलिये चौधरीजी पर कोई जुर्म आयद ही नहीं हो सकता था। सम्राज्ञी बनाम हबीबुल्ला (अलाहाबाद वीकली नोट्स १ जुलाई १८८६ अभियोग नं० २५१) अपील के फैसले में मि० जस्टिस महमूद ने सेशन जज के फैसले से सहमत होते हुए स्पष्ट कहा है:—

Mere disobedience of an order of this nature is not sufficient to warrant a conviction under section 188 of the Penal Code. To justify a conviction under this section it is necessary to establish that the disobedience causes, or tends to cause obstruction etc.

अर्थात् इस धाराके अनुसार किसी को दण्डनीय ठहराने के लिये केवल आज्ञा का उल्लघन काफी नहीं है, वरन इसके लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उस आज्ञा भङ्ग के द्वारा क़ानून सङ्गत कार्य में संलग्न किसी व्यक्ति को बाधा या कष्ट पहुंचा हो या पहुंचने की सम्भावना थी.....इत्यादि। इस प्रकार के और भी बीसियों उदाहरण दिये जा सकते हैं। स्वयं इस धारा (दफ़ा) के बनाने वालों ने कहा है:—

"We have, therefore, thought it necessary to provide that no person should be punished merely for disobeying a local order, unless it be made to appear that the disobedience has been attended with evil or risk of evil."

अर्थात यह आवश्यक समझा गया कि कोई भी व्यक्ति, केवल आज्ञा भङ्ग के लिये दण्डित न किया जाय, जब तक कि यह सिद्ध न हो कि उसके आज्ञा भंग के कारण कुछ खतरा है या होने की सम्भावना है। पर मजिस्ट्रेट साहब ने धारा के इस अत्यन्त आवश्यक अङ्ग, जिस पर कि अभियुक्त का दोषी ठहराया जाना, न जाना, अवलम्बित था, और तत्सम्बन्धी गवाही पर और भी अधिक विचित्र रीति से विचार किया है। प्रथम तो आपने इसे केवल यह कह कर टाल देना चाहा है कि उनको जानकारी में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, जिस में १८८ धारा के अनुसार भारत सरकार की कार्यकारिणी (एक्ज़िक्यूटिव) कौन्सिल की किसी आज्ञा के सम्बन्ध में यह सिद्ध करना आवश्यक समझा गया हो कि उसके भङ्ग करने से बाधा, कष्ट वा शान्ति भङ्ग की सम्भावना थी। उनके विचार से इस सम्बन्ध में जितने भी रूलिंग्स हैं, वे सब स्थानीय आज्ञाओं के सम्बन्ध में हैं। पर इसके प्रमाण में मजिस्ट्रेट साहब ने कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया है जिससे यह सिद्ध हो कि क़ानून ने भारत सरकार की कार्यकारिणी कौन्सिल की आज्ञा के सम्बन्ध में उक्त बातें सिद्ध करने की क़ैद नहीं रक्खी है। ऐसी दशा में जब कि अभियोग १८८ धारा के अनुसार चलाया गया था, तब महकमा खास की आज्ञा के सम्बन्ध में भी उक्त धारा के अन्तर्गत सब बातें लागू होनी चाहियें। अस्तु। मजिस्ट्रेट साहब ने अपराध सिद्ध करने की इस्तगासे की इस सब से बड़ी कमज़ोरी को छिपाने के लिये तो उक्त कमज़ोर अथवा बे बुनियाद बहाना ढूंढ निकाला, पर अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड का अपराध सिद्ध करने के लिए इस पर विचार करना आवश्यक समझा और इसके लिये उन्हों ने श्री पदो बनर्जी तथा प्यारेलाल की गवाही तथा 'तरुण' के कुछ कटिंग्स आदि से अपना मतलब सिद्ध करने की कोशिश की है। श्रीपदो बनर्जी तथा प्यारेलाल की गवाही की हिस्सारता गताङ्क में बतायी जा चुकी है। रहा 'तरुण' के कटिंग्स के बारे में। सो जिस समय कटिंग्स की फाइल पेश की गयी थी, चौधरीजी के वकील ने पैरोकार से पूछा था कि कुल फाइल की फाइल ही गवाही में पेश की जाती है या इसके कुछ कटिंग्स। इस पर पैरोकार साहब पहले तो कुछ गड़बड़ाये और फिर उस में से ढूंढ ढांढ कर २१ दिसम्बर सन् १९२४ तथा ५ अप्रैल सन् १९२५ के दो कटिंग्स प्रमाण के रूप में पेश किये। पर मजिस्ट्रेट साहब ने कुल फाइल को ही सबूत में ले लिया और उसके सन् १९२३ से लेकर १९२५ तक के 'नवीन' और 'तरुण' के कुल लेखों के लिए चौधरीजी को ही जिम्मेवर माना है; हालां कि सच बात यह है कि नवम्बर सन् १९२४ से पहिले चौधरीजी कभी किसी पत्र के सम्पादक न थे। इस बातको यदि जाने भी दिया जाय, तो कटिंग्स की किसी बात के आपत्तिजनक होने के सम्बन्ध में इस्तग़ासे ने कोई गवाही पेश नहीं की। पर मजिस्ट्रेट साहब ने अपने आप उन्हें आपत्तिजनक मान लिया और २२ मार्च सन् २५ के अङ्क में से उन्हें महकमे खास की तौहीन या बग़ावत, वे जोकुछ समझें, का प्रमाण भी मिल गया। आप लिखते हैं—"इस लेख में अभियुक्त यहां तक आगे बढ़ गया है कि उसने ख्वाजा अज़ीज़ुर्रहमान को सीकर का सीनियर मेम्बर बना देने के लिये जयपुर केबिनेट के मेम्बरों तक को कोस डाला है।' हमने उस अङ्क को एक बार नहीं, दो दो बार देखा, पर हमें कहीं भी ऐसे किसी वाक्य का पता नहीं लगा।" बड़ी देर के बाद हमने समझा कि मजिस्ट्रेट साहब का इशारा शायद निम्न लिखित पैरे की ओर है:—

"कार्य भार सम्भालते ही ख्वाजाजी ने सीकर को केवल 'ठिकाना' और उसके प्रधान को केवल 'मुसाहिब' रहने देना शान के खिलाफ समझा। सीकर को 'रियासत' और उसके मुसाहिब को 'मदारुल मुहाम' का पद मिल गया, किंतु बुरा हो केबिनेट के जयपुरी सदस्यों की पुरातन अनुदारता का, जिसने ख्वाजा साहब के उन्नतिशील भावों को सहन न किया और उन्हें केवल सीनियर अफसरी पर सन्तोष कर लेने को बाध्य किया।"

पर पाठक देखें कि इसमें केबिनेट के मेम्बरों को कोसा नहीं गया, उलटे ख्वाजा साहिब की अनुचित महत्वकांक्षा रोकने के लिये उनकी अप्रत्यक्ष रूप में प्रशंसा की गई है। पर मजिस्ट्रेट साहब को शायद इसके 'बुरा हो केबिनेट के जयपुरी सदस्योंका' इत्यादि शब्द ही उन्हें कोसने वाले जचे हैं। अपनी इसी बेमिसाल समझदारी से आपने 'तरुण' के अन्य लेखों को भी पढ़ा होगा, ऐसी दशा में इस सम्बन्ध में आपका निर्णय किस दृष्टि से देखा जाना चाहिये, यह बताने की आवश्यकता नहीं अस्तु।

मजिस्ट्रेट साहब ने, चौधरीजी को सलाह देने के लिये किसानों तथा सीनियर अफ़सर द्वारा बुलाये जाने की बात को भी उनकी

निर्दोषता के बजाय अपराध का ही प्रमाण माना है। आप के मत से उन्हें सीकर के किसानों को सलाह देने का क़ानूनन कोई अधिकार नहीं था !!! बीसवीं सदी के इस युग में, जब कि कुछ लोग संसार भर में परस्पर भ्रातृ-भावके प्रचार का प्रयत्न कररहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब का उसी राज्य के एक व्यक्ति का अपने भाइयों को सलाह देने के अधिकार से वञ्चित करना निरा हास्यास्पद नहीं तो और क्या है ?

अभियुक्त का क़ानूनी चित्र खींचते हुए मजिस्ट्रेट साहब अपने फैसले में लिखते हैं— "'नीम के थाने' का शहीद होने का दम भरने वाला एक अशिष्ट बनिया, आज कल के फेशन के मुताबिक अपने नाम और प्रसिद्धि तथा अपने अखबार की बिक्री के लिये, सीकर और शेखावाटी के ठिकानों तथा अन्य रियासतों और सरकारी मामलों में बिना किसी जरूरत के और बेहूदे ढङ्ग से हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे कुछ व्यवहारिक लाभ नहीं, वरन् अशान्ति का खतरा है।"

न्यायासन पर बैठकर मजिस्ट्रेट साहब का उस व्यक्ति के लिये जिसकी देश भक्ति की एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा हो चुकी है, इस प्रकार आक्षेप करना आपत्ति जनक ही नहीं, कायरता पूर्ण भी है। मजिस्ट्रेट साहब ने यदि यही बातें न्यायासन से दूर हो व्यक्ति [illegible] हैसियत से कही होतीं, तो अदालत में [illegible] अपनी सफाई देना मुश्किल हो जाता। [illegible] भी यदि कोई गाली का जवाब गाली देने वाला फक्कड़ अखबार स्वयं मजिस्ट्रेट साहब का चित्र खींचता हुआ कहे कि— "न्यायाधीश होने का दम भरने वाला, जयपुर का एक कमज़ोर दिल कायस्थ, प्रेसिडेण्ट को खुश कर अपनी तरक्की के लालच में न्याय की छीछालेदर कर रहा है" तो उसका वे क्या जवाब देंगे ? पर हम न तो इस प्रकार की गाली गलौज से अपनी क़लमको न ऐसी बेहूदी बातों से अपने अखबार के कलेवर को ही कलङ्कित करना चाहते हैं। मजिस्ट्रेट साहब अपने आक़ा को खुश रखने के लिये चाहे जो कहें, जानने वाले जानते हैं कि चौधरी जी ने न कभी शहीद होने का दम भरा, न कभी येन केन प्रकारेण अपने अखबार की बिक्री बढ़ाना उनका उद्देश्य रहा और अशिष्टता तो उनके पास हो कर फटकी भी नहीं। इसी प्रकार मजिस्ट्रेट साहब ने उनके आज्ञा भङ्ग करने, ७ मार्च को महकमा खास की आज्ञा के तामील किए जाने तथा 'तेज' में प्रकाशित पत्र के अपना होने से इङ्कार करने आदि बातों से चौधरीजी में नैतिक साहस की अत्यन्त कमी का होना सिद्ध कर स्वयं काच के घर में बैठ कर दूसरे के घर पर पत्थर फैंकने का प्रयत्न किया है। किसी भी अनुचित आज्ञा का, सूचना देकर भङ्ग करना नैतिक साहस की प्रचुरता का द्योतक है, या कमी का, यह एक साधारण बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है। रहा ७ मार्च को महकमा खास की आज्ञा के तामील होने तथा 'तेज' में प्रकाशित पत्र से इन्कार करना, सो यह उन्होंने सत्य को छिपानेके लिये नहीं, क़ानूनन दी हुई सुविधा से फायदा उठाने के लिए किया था जिस के औचित्य से कोई इङ्कार नहीं कर सकता। अस्तु। मजिस्ट्रेट साहब ने महा भारत, याज्ञवल्क स्मृति आदि के कुछ उदाहरण देकर चौधरीजी के आज्ञा भङ्ग को हिन्दू संस्कृति के विरुद्ध बतलाया है। पर वे यह भूल गये मालूम होते हैं कि जिन ग्रन्थों से उन्होंने राजाज्ञा का भङ्ग करना दण्डनीय बतलाया है, उन्हीं से न केवल अनुचित आज्ञाका भङ्ग वरन प्रजा हित विरोधी राजा की हत्या तक के उदाहरण दिये जा सकते हैं। उनके सन्तोष [illegible] लिये एक दो उदाहरण यहां दिये भी जाते हैं। महा भारत में एक जगह कहा है—

तं प्रजाः नानु रज्यन्ते न विप्राः न साधवः
ततः संक्षयम् आप्नोति तथा वध्यत्वमेव च

अर्थात् प्रजा, ब्राह्मण और साधु उसकी (अनाचारी राजा की) सेवा नहीं करते; तब वह विनाश को प्राप्त होता है और अन्त में मार दिया जात है।

तम् प्रजा सुविधर्माणम् राग द्वेश वशानुगम्
मन्त्र पूतैः कुशैः जघ्नुः ऋषय : ब्रह्मवादिनः

(महा भारत शांति पर्व)

अर्थात् प्रजा से समुचित व्यवहार न करने वाले (वेन) राजा को ब्रह्मवादी ऋषियों ने कुशों से मार दिया।

प्रकृति कोपो हि सर्व कोपेभ्यो गरीयान

चाणक्य

अर्थात प्रजा का क्रोध सब क्रोधों सेबड़ा है।

धर्मात् विचलितम् हन्ति नृपमेव सबान्धवम्

(महाभारत)

अर्थात् धर्म से विचलित राजा को वंश सहित मार देते हैं।

इस प्रकार और भी सैंकड़ों प्रमाण इस बात के दिये जा सकते हैं। परन्तु मजिस्ट्रेट साहब को इन से क्या मतलब, उन्होंने तो चौधरी जी को हर तरह दोषी ठहराने की ठानी थी, उसके लिये जो अपने मतलब का हुआ वही लेलिया शेष छोड़ दिया। पर पाठक देखेंगे कि उन्होंने अपने अधिकार के बल से चौधरी जी को सज़ा भले ही दे दी हो, पर वे उनके अपराध को सिद्ध करने में सर्वथा असफल हुए हैं।

—*—

बस्तर राजकुमारी संकट में

कुछ दिनों बन्द रह कर बस्तर राजकुमारी के विवाह की चर्चा फिर आरम्भ हुई है। गत एक अगस्त के 'क्षत्रिय मित्र' के आधार पर एक राजपूत सम्वाददाता का कहना है कि बस्तरके गोरे एडमिनिस्ट्रेटर ने राजकुमारी की शादी के लिये सामान खरीदना शुरू कर दिया है और वह उसी मयूरभञ्ज के गुज़ारेदार के लड़के के साथ शादी करने पर तुला हुआ है। यदि यह सत्य है तो बड़ी चिन्ता जनक बात है और राजपूत जाति को अब भी सचेत होकर इस अन्याय को रोकने के लिये प्राणपण से प्रयत्न करने के लिये कटि बद्ध होना चाहिए। लगभग तीन वर्ष से इस प्रश्न पर चर्चा होती आ रही है, पर राजपूत जाति ने न मालूम कितना गहरा कसूंबा पीला है, कि कान पर ढोल बजते रहने पर भी उसकी पिनक दूर नहीं होती। अपनी टेक पर तत्काल मर मिटने वाले, स्वत्व रक्षार्थ तिल तिल हो कट मरने वाले और सूत के धागे की राखी पाकर शरणागत की रक्षा के लिये सिर हथेली परलेचढ़ दौड़ने वालोंकी संतान का आज तीन वर्ष से एक अबला का करुण क्रन्दन सुनते रहने पर भी खून नहीं खौलता, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या होगी ! एक बार नहीं, अनेक बार यह बात उनके सामने रक्खी जा चुकी है कि परवाह नहीं यदि उनकी तलवार और बन्दूक को जंग लग चुका है, हमें आज उसकी आवश्यकता [illegible]। हमें आवश्यकता है केवल उनके संगठि[illegible] कर एक स्वर से नौकरशाही के कृत्य का विरोध करने की और यदि इतने पर भी वह न माने तो अपनी आन की रक्षा के लिये गुरु का बाग के सिक्खों की तरह हज़ार कष्ट सहने पर भी डटे जाने की। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के सङ्गठित विरोध के सामने नौकरशाही टिक न सकेगी, उसे झुकना पड़ेगा, और अवश्य झुकना पड़ेगा। ऐसी दशा में क्या हम आशा करें कि राजपूत जाति अब भी अपने कर्तव्य को समझ उसके पालन के लिये दृढ़ता से आगे बढ़ेगी।